



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक संवत्) [संख्या 25

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	315—322	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	445—456	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1207-1289	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग

स्थापना राजपत्रित अनुभाग

नियुक्ति

05 जनवरी, 2024 ई०

सं० स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच राज्य कर अधिकारी/2023-2024/3634/राज्य कर-लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री मनीष मिश्र पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, निवासी-ग्राम व पोस्ट-कांटी, थाना-घूरपुर, तहसील-बारा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 212107 (अनुक्रमांक-233696) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु० 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु० 4,800/- में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1— श्री मनीष मिश्र नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2— श्री मनीष मिश्र का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं राज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3— श्री मनीष मिश्र की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4— श्री मनीष मिश्र को अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5— श्री मनीष मिश्र को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। श्री मनीष मिश्र को सूचित किया जाता है कि राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

08 जनवरी, 2024 ई०

सं० स्था-1-2016 बैच वा०क०अधि०/2023-24/3652/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री अजय कुमार पुत्र स्व० श्री मनोहर लाल, ग्राम व पोस्ट-सुरीर कलाँ, तहसील-मांट, थाना सुरीर जिला-मथुरा उत्तर प्रदेश (अनुक्रमांक-188313) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। श्री अजय कुमार को मुख्यालय के आदेश संख्या-3418 दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। श्री अजय कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-404 दिनांक 17 जून, 2020 एवं आदेश संख्या-2972 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था किन्तु श्री अजय कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 25/5/80-का-4-1999 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री अजय कुमार को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है।

श्री अजय कुमार को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री अजय कुमार का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं० स्था-1-2016 बैच वा०क०अधि०/2023-24/3653/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री नन्द किशोर सिंह पता-19/24, न्यू गोपाल पुरी, सासनीगेट अलीगढ़, उ०प्र० (अनुक्रमांक-028020) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। श्री रविन्द्र प्रताप सिंह को मुख्यालय के आदेश संख्या-3410 दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। श्री रविन्द्र प्रताप सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-400 दिनांक 17 जून, 2020 एवं पत्र संख्या-2070 दिनांक 07 अगस्त, 2020, पत्र संख्या-2973 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या-1541 दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था किन्तु श्री रविन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 25/5/80-का-4-1999 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री रविन्द्र प्रताप सिंह को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है।

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री रविन्द्र प्रताप सिंह का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं० स्था-1-2016 बैच वा०क०अधि०/2023-24/3654/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री मनाली चन्द्रा पुत्री श्री शशिभाल त्रिपाठी निवासी जयहनुमन्त नगर, रंजीतपुर चिलबिला, थाना-कोतवाली नगर जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश (अनुक्रमांक-250845) को वाणिज्य कर

अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। सुश्री मनाली चन्द्रा को मुख्यालय के आदेश संख्या-2299 दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। सुश्री मनाली चन्द्रा द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-402 दिनांक 17 जून, 2020 एवं पत्र संख्या-पत्र संख्या-2970 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या-1543 दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था किन्तु सुश्री मनाली चन्द्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 25/5/80-का-4-1999 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए सुश्री मनाली चन्द्रा को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है।

सुश्री मनाली चन्द्रा को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण सुश्री मनाली चन्द्रा का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2016 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3655/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री डौली पुत्री श्री अमरपाल सिंह, निवासी 569, एच-13, त्रिमूर्तिनगर, थाना-बन्नादेवी, तहसील-कोल, जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश (अनुक्रमांक-247108) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। सुश्री डौली को मुख्यालय के आदेश संख्या-3742 दिनांक 08 नवम्बर, 2019 द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। सुश्री डौली द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-2729 दिनांक 05 सितम्बर, 2019, पत्र संख्या-403 दिनांक 17 जून, 2020, पत्र संख्या-पत्र संख्या-2969 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या-1544 दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था किन्तु सुश्री डौली द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 25/5/80-का-4-1999 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए सुश्री डौली को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है।

सुश्री डौली को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण सुश्री डौली का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2016 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3656/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री संघशील प्रियदर्शी पुत्र श्री बलबीर सिंह, 85 कृष्ण बिहार, शाहबाद रोड, रामपुर उत्तर प्रदेश (अनुक्रमांक-021159) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था तथा श्री संघशील प्रियदर्शी को मुख्यालय के पत्र संख्या 955 दिनांक 04 जून, 2019 द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या 2729 दिनांक 05 सितम्बर, 2019, पत्र संख्या 4845 दिनांक 27 जनवरी, 2020, पत्र संख्या 2966 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या 1547 दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था।

श्री संघशील प्रियदर्शी द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में अपने प्रार्थना पत्र द्वारा राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में असहमति दी गयी है।

अतः श्री संघशील प्रियदर्शी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उनका वाणिज्य कर अधिकारी के पद का अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2017 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3657/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री ललित कुमार पाण्डेय पुत्र श्री स्वामीनाथ पाण्डेय, निवासी-ग्राम रामपुर हरगिर पोस्ट-ऊँचगाँव, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश 222201 (अनुक्रमांक-408849) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। श्री ललित कुमार पाण्डेय को मुख्यालय के आदेश संख्या-361 दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। श्री ललित कुमार पाण्डेय द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-2270 दिनांक 24 अगस्त, 2020 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था किन्तु श्री ललित कुमार पाण्डेय द्वारा कार्य-भार ग्रहण नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 25/5/80-का-4-1999 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री ललित कुमार पाण्डेय को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है।

श्री ललित कुमार पाण्डेय को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री ललित कुमार पाण्डेय का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2017 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3658/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री मयंक पाण्डेय पुत्र श्री मंशाराम पाण्डेय, 1/6, दुर्गा कालोनी नगला दीना फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 209601 (अनुक्रमांक-042289) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। श्री मयंक पाण्डेय को मुख्यालय के आदेश संख्या-3167 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा नियुक्ति-पत्र जारी किया गया था। श्री मयंक पाण्डेय द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-3676 दिनांक 24 नवम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या-3972 दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था किन्तु श्री मयंक पाण्डेय द्वारा कार्य-भार ग्रहण नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 25/5/80-का-4-1999 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री मयंक पाण्डेय को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है।

श्री मयंक पाण्डेय को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री मयंक पाण्डेय का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2017 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3659/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सन्त लाल, चकसोन रायपुरी जगन्नाथपुर गोपीगंज सन्त रविदासनगर (भदोही) उत्तर प्रदेश 221303 (अनुक्रमांक-197231) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। श्री जय प्रकाश को मुख्यालय के आदेश संख्या-1004 दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा नियुक्ति-पत्र जारी किया गया था। श्री जय प्रकाश द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-3077 दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था किन्तु श्री जय प्रकाश द्वारा कार्य-भार ग्रहण नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 25/5/80-का-4-1999 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री जय प्रकाश को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है।

श्री जय प्रकाश को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री जय प्रकाश का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2017 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3660/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री विकास गौतम पुत्र श्री कुँवर पाल सिंह, द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार, 305, नगला, कुन्दन बंगांव, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश 207001 (अनुक्रमांक-006959) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था तथा श्री विकास गौतम को मुख्यालय के पत्र संख्या-4606 दिनांक 13 जनवरी, 2020 द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या-3175 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था।

श्री विकास गौतम को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री विकास गौतम का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2017 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3661/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री स्वाती चौधरी पुत्री श्री साधुराम चौधरी, निवासी ग्राम-बहलोलपुर पोस्ट-टिकरौल, जिला-सहारनपुर उत्तर प्रदेश-247452 (अनुक्रमांक-379839) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था तथा सुश्री स्वाती चौधरी को मुख्यालय के पत्र संख्या-4976 दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या-3171 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था।

सुश्री स्वाती चौधरी को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण सुश्री स्वाती चौधरी का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2017 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3662/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री पूजा त्रिपाठी पुत्री श्री बृजेश नारायन त्रिपाठी ग्राम-मिश्रापुर, पुरनन्दू पोस्ट शाहेबगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश 230137 (अनुक्रमांक-428686) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था तथा सुश्री पूजा त्रिपाठी को मुख्यालय के पत्र संख्या-4606 दिनांक 13 जनवरी, 2020 द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या-3169 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था।

सुश्री पूजा त्रिपाठी को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण न किये जाने के कारण सुश्री पूजा त्रिपाठी का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2017 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3663/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री ओंकर दत्त तिवारी पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवारी निवासी-द्वारा श्री आशुतोष तिवारी, अखलासपुर, निकट-यू0डी0 हाईस्कूल अखलासपुर गेट, जिला-कैमूर (भबुआ) बिहार-821101 (अनुक्रमांक-207287) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था तथा श्री ओंकर दत्त तिवारी को मुख्यालय के पत्र संख्या-4976 दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या-3174 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था।

श्री ओंकर दत्त तिवारी को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री ओंकर दत्त तिवारी का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं0 स्था-1-2017 बैच वा0क0अधि0/2023-24/3664/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री अजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजय पाल सिंह, निवासी-537भ/131 भरत नगर, मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, जिला-लखनऊ उत्तर प्रदेश 226021 (अनुक्रमांक-092557) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था तथा श्री अजेन्द्र सिंह को मुख्यालय के पत्र संख्या-4976 दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या-3173 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था।

श्री अजेन्द्र सिंह को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री अजेन्द्र सिंह का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

सं० स्था-1-2017 बैच वा०क०अधि०/2023-24/3665/राज्य कर-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री जयदेव कुमार, निवासी-डी०-2 रेल विहार, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201014 (अनुक्रमांक-332394) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था तथा श्री आशीष कुमार सिंह को मुख्यालय के पत्र संख्या-4976 दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या-3170 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था।

श्री आशीष कुमार सिंह को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पर्याप्त समय/अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य-भार ग्रहण न किये जाने के कारण श्री आशीष कुमार सिंह का वाणिज्य कर अधिकारी के पद का जारी नियुक्ति-पत्र/अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मिनिस्ती एस०,
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप—19

[नियम 27 का उप नियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

21 मई, 2026 ई०

सं० 652/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2026-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड-2, हरिद्वार (आपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद-सम्भल, तहसील व परगना-सम्भल, ग्राम ततारपुर रोड में कुल 0.3200 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 55 दिनांक 10.12.2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 03.01.2026 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर सम्भल को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित हेतु जनपद-सम्भल तहसील व परगना सम्भल ग्राम ततारपुर रोड में कुल 0.3200 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देती है कि अधिनियम, की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थान योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	ततारपुर रोड	87	0.0700
				89	0.0700
				90	0.055
				91	0.025
				93	0.1000
				योग .	0.3200

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
विस्थापित परिवारों की संख्या					—शून्य—

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड-2, हरिद्वार.....(आपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद-सम्भल, तहसील व परगना-सम्भल, ग्राम ततारपुर रोड में स्थित 0.3200 हे० भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या..... दिनांक के क्रम में द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है—

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH**FORM-19**

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act]

NOTIFICATION

May 21, 2026

No. 652/VIII-S.L.A.O./Moradabad—Whereas Preliminary notification no. 55/VIII-S.L.A.O./**Moradabad/2025**, Dated 10-12-2025 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.3200 Hectres of land in Village-Tatarpur Road, Pargana and Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for public purpose, namely project Madhya Ganga Canal Project Stage-II, through Executive Engineer Madhya Ganga Canal quality control Division-2 haridwar (Name of requiring body and laily Published on Dated 03-01-2026. The Deputy Collector Sambhal was appointed is administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the give schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and land to the extent of 0-3200 hectares in Village-Tatarpur Road, Pargana and Tehsil-Sambhal, District-Sambhal as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Government is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Tatarpur Road	87	0.0700
				89	0.0700
				90	0.055
				91	0.025
				93	0.1000
				Total . .	0.3200

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hectares)
1	2	3	4	5	6

-Nil-

NOTE-A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) Illegible
Collector,
Sambhal.

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

05 जून, 2026 ई०

सं० 707-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-6, मेरठ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मदारपुरा माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, बिलारी, परगना, कुन्दरकी, ग्राम-रसूलपुर हमीर में कुल रकबा 0.1380 हे० व ग्राम-ललवारा में कुल 0.1275 हे० व सब्जीपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, बिलारी, परगना-कुन्दरकी, ग्राम-रतनपुर कलों में कुल रकबा 0.2223 हे० व मनोहरपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, मुरादाबाद परगना, मुरादाबाद, ग्राम-नगला बनवीर में कुल रकबा 0.0660 हे० व ताहरपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, बिलारी, परगना-कुन्दरकी, ग्राम-मसेवी रसूलपुर में कुल रकबा 0.2005 हे० व कुन्दनपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, बिलारी, परगना-कुन्दरकी ग्राम-बरेठा खिरजपुर में कुल रकबा 0.0392 हे० व ग्राम-करनपुर में कुल रकबा 1.3378 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या- 325/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद, दिनांक 19 फरवरी, 2026 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 11 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर मुरादाबाद/बिलारी को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देती हैं कि अधिनियम, की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु, मुरादाबाद-कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
					हे०
मुरादाबाद	बिलारी	कुन्दरकी	रसूलपुर हमीर	122	0.1380
			ललवारा	20	0.1275

1	2	3	4	5	6
मुरादाबाद	बिलारी	कुन्दरकी	रतनपुर कलौ	617	0.0660
				1994	0.0405
				1971	0.0070
				1973क	0.0242
				1996	0.0096
				2129	0.0030
				2131	0.0210
				2132	0.0180
				2134	0.0150
				2135	0.0060
				2136	0.0060
				2137	0.0060
				योग:—	0.2223
मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	नंगला बनवीर	294	0.0660
मुरादाबाद	बिलारी	कुन्दरकी	बरेठा खिजरपुर	69	0.0392
			मसेवी रसूलपुर	4	0.0640
				5	0.0608
				66	0.0757
				योग:—	0.2005
			करनपुर	2	0.0224
				4	0.0408
				5	0.0360
				6	0.0836
				8	0.0893
				158	0.0180
				159	0.0950
				160	0.1197
				164	0.1311

1	2	3	4	5	6
मुरादाबाद	बिलारी	कुन्दरकी	करनपुर	207	0.0027
				208	0.0210
				209	0.0240
				212	0.0576
				210	0.0216
				213	0.0780
				216	0.1140
				217	0.2095
				247	0.0200
				162	0.0528
				161	0.1007
				योग:—	1.3378
				कुल योग:—	2.1313

अनुसूची—ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

-----विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”-----

टिप्पणी:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा मुरादाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-6, मेरठ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मदारपुरा माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, बिलारी, परगना-कुन्दरकी, ग्राम-रसूलपुर हमीर में कुल रकबा 0.1380 हे० व ग्राम-ललवारा में कुल 0.1275 हे० व सब्जीपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, बिलारी, परगना-कुन्दरकी, ग्राम-रतनपुर कलौ में कुल रकबा 0.2223 हे० व

मनोहरपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, मुरादाबाद परगना-मुरादाबाद, ग्राम-नगला बनवीर में कुल रकबा 0.0660 हे० व ताहरपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, बिलारी, परगना-कुन्दरकी, ग्राम-मसेवी रसूलपुर में कुल रकबा 0.2005 हे० व ब कुन्दनपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद-मुरादाबाद, तहसील, बिलारी, परगना-कुन्दरकी ग्राम-बरेठा खिरजपुर में कुल रकबा 0.0392 हे० व ग्राम-करनपुर में कुल रकबा 1.3378 हे०, भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या.....दिनांक.....के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

.....

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

DEPARTMENT OF IRRIGATION

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]

NOTIFICATION

05 June, 2026

No-707-Whereas Preliminary notification no 325/VIII-S.L.A.O-Moradabad, date 19-02-2026 was issued under sub-section (1) of section II of the right to fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0-1380 hectares of Land is required in the Village-Rasoolpur Hamir, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 0-1275 hectares of Land is required in the Village-Lalwara, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 0-2223 hectares of Land is required in the Village-Ratanpur Kalan, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 0-0660 hectares of Land is required in the Village--Nangla Banbir, Tehsil Moradabad, Pargana Moradabad, District Moradabad & of 0.0392 hectares of Land is required in the Village-Baretha Khizarpur, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 0-2005 hectares of Land is required in the Village-Masebi Rasoolpur, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 1-3378 hectares of Land is required in the Village- Karanpur, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body and laity published on dated 11-04-2026 The Deputy Collector Moradabad/Bilari was appointed is Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land NIL as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Government is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Moradabad/Bilari to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A

(Land Under Proposed Acquittion)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area To Be Acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Moradabad	Bilari	Kundarki	Rasoolpur Hamir	122	0.1380
Moradabad	Bilari	Kundarki	Lalwara	20	0.1275
Moradabad	Bilari	Kundarki	Ratanpur Kalan	617	0.0660
				1994	0.0405
				1971	0.0070
				1973k	0.0242
				1996	0.0096
				2129	0.0030
				2131	0.0210
				2132	0.0180
				2134	0.0150
				2135	0.0060
				2136	0.0060
				2137	0.0060
				TOTAL	0.2223

1	2	3	4	5	6
Moradabad	Moradabad	Moradabad	Nangla Banbir	294	0.0660
Moradabad	Bilari	Kundarki	Baretha Khizarpur	69	0.0392
Moradabad	Bilari	Kundarki	Masebi	4	0.0640
			Rasoolpur	5	0.0608
				66	0.0757
				TOTAL	0.2005
Moradabad	Bilari	Kundarki	Karanpur	2	0.0224
				4	0.0408
				5	0.0360
				6	0.0836
				8	0.0893
				158	0.0180
				159	0.0950
				160	0.1197
				164	0.1311
				207	0.0027
				208	0.0210
				209	0.0240
				212	0.0576
				210	0.0216
				213	0.0780
				216	0.1140
				217	0.2095
				247	0.0200
				162	0.0528
				161	0.1007
				TOTAL	1.3378
				GRAND TOTAL	2.1313

SCHEDULE-B**(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)**

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA EARMARKED FOR REHABILITATION (IN HECT)
1	2	3	4	5	6

-----NIL-----

NOTE: A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

U.P Irrigation Department EE MGCCD-6, Meerut By the order of declaration made under Government notification no..... /VIII-S.L.A.O-Moradabad, date..... for 0-1380 hectares of Land is required in the Village-Rasoolpur Hamir, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 0-1275 hectares of Land is required in the Village- Lalwara, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 0-2223 hectares of Land is required in the Village-Ratanpur Kalan, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 0-0660 hectares of Land is required in the Village--Nangala Banbir, Tehsil Moradabad, Pargana Moradabad, District Moradabad & of 0-0392 hectares of Land is required in the Village- Baretha Khizarpur, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 0-2005 hectares of Land is required in the Village-Masebi Rasoolpur, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad & of 1-3378 hectares of Land is required in the Village- Karanpur, Tehsil Bilari, Pargana Kundarki, District Moradabad is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II)

though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made there in and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

.....

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

(Sd.) Illegible,
Collector, Moradabad.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर निगम, मेरठ

25 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 170/आ०लि०-न०आ०-न०नि०मे०/2025-प्रमुख सचिव, नगर अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-925/नौ-9-2025/ई-18453096 दिनांक 09 मई, 2025 के क्रम में निदेशक, स्थानीय नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एस०यू०डी०एम०/57/2025/लखनऊ दिनांक 28.05.2025 के अनुपालन में शासन द्वारा तैयार की गई नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि-2025 के आलेख के आधार पर नगर निगम, मेरठ (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि-2025 का पाण्डूलेख तैयार करते हुए मा० सदन के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु सदन की बैठक दिनांक 10.09.2025 में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-542 एवं 543 के अन्तर्गत मा० सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव को सदन के प्रस्ताव सं०-2(5) (क) व (ख) दिनांक 10.09.2025 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया जिसके क्रम में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के पत्र सं०-856/मु०क०नि०अधि०-न०नि०मे०/2025 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा आम जनमानस के आपत्ति एवं सुझाव के लिए मेरठ से प्रकाशित होने

वाले हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला एवं जनवाणी के साथ नगर निगम मेरठ की वेबसाईट एवं कार्यालयों के नोटिस बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक सूचना दिनांक 07.10.2025 को प्रकाशित करायी गयी। सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से 30 दिन (07/11/2025 तक) के अन्दर प्रस्तावित नगर निगम, मेरठ (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि-2025 सम्बन्ध में अपनी लिखित आपत्ति एवं सुझाव ऑफलाइन एवं ऑनलाइन नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ कार्यालय में आमन्त्रित की गयी, जिसके क्रम में प्राप्त आपत्ति का नियमानुसार निस्तारण करते हुए अन्तिम अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 30.03.2026 (विशेष सत्र) एवं मा0 सदन की बैठक दिनांक 13.04.2026 (विशेष सत्र) में प्रस्तुत किया गया। जिस पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025 का प्रकाशन राजकीय गजट में किये जाने हेतु सर्वसम्मति से मेरठ नगर निगम मा0 सदन द्वारा पारित प्रस्ताव सं0-2(5) (क) व (ख) दिनांक 10.09.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधित दरें निम्नवत् हैं, जो सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी—

नगर निगम मेरठ (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025

1—संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह उपविधि नगर निगम मेरठ (कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025 कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम मेरठ के सीमा क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएं—

(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(ख) आबादी का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।

(ग) निर्धारण सूची का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा-207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) संशोधन और परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा-213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ) सम्पत्ति का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर निगम सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।

3— निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण—

(1) अधिनियम, 1959 की धारा-210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा-213 के अधीन उल्लिखित कारणों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची में प्रमाणीकृत होने के पश्चात किसी कारण वश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा।

(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक) पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा

(चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा

(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी—

(एक) नगर निगम सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति

(दो) गैर जमींदारी उन्नमूलन (नान जेड०ए०) क्षेत्र की सम्पत्ति,

(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्तन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4—सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया—

(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने के नव निर्माण या पुनःनिर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर करके निर्धारण करके सम्पत्ति कर की धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियों निर्धारण सूची में की जाएँगी

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र 1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम की वेब साइट पर प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा। (ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू0 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा अथवा आनलाइन व्यवस्था के

तकनीकी रूप से बाधित अथवा क्रियाशील न होने की स्थिति में समस्त वर्णित अभिलेखों की सुस्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ भौतिक रूप से संलग्न कर निर्धारित स्थान पर उक्त कार्य हेतु तैनात/अधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध करायेगा।

क्र० सं०	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र विभाजन विलेख दान-पत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे०पी०जी० प्रारूप में)	√	√	√
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे०पी०जी० प्रारूप में)	√	√	√
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	√	√	√
4	पंजीकृत विक्रय विलेख या दान-पत्र/ विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	—	√	—
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	√	—	—
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, जे०पी०ई०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)	√	—	√
7	पंजीकृत वसीयत (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, जे०पी०ई०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)	—	—	√
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	√	√	—
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो।	√	√	√

(ग) आवेदन के कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात नगर निगम द्वारा विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप-3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधीशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाए जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाएगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जाएगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के संबंध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा-2 के खण्ड-(47) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किए जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर अध्यासी शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर, निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जाएगी।

(4) निर्धारण सूची में संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5- हस्तान्तरण को नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता—

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते ही, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस संबंध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इस प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6- निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना-

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभार की दरें निम्नवित होंगी-

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होगी :-

क्र० सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि
1	1000 तक	1000/-
2	1001-2000 तक	2000/-
3	2001-3000 तक	3000/-
4	3000 से अधिक	5000/-

(ख) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी:

क्र०सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि
01	रु० 5 लाख तक	1000/-
02	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	2000/-
03	रु० 10 लाख से रु० 15 लाख तक	3000/-
04	रु० 15 लाख से 50 लाख तक	5000/-
05	रु० 50 लाख से ऊपर	10000/-

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-92 के प्राविधानों के स्वीकृति अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों ओर सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

7— आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण—

जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल. सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

8— अपील—

नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 472 के अधीन अपील कर सकता है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मेरठ।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, स्वार, रामपुर

20 मार्च, 2025 ई०

सं० 554/न०पा०प०स्वार०/उपविधि/भवन निर्माण/2024-25-उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा-298 (2) के उप खण्ड (क), क, ख, ग, घ, ङ, छ के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नगर पालिका परिषद स्वार जनपद-रामपुर द्वारा अपनी सीमाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि की नगर पालिका परिषद स्वार जनपद-रामपुर के मा० बोर्ड बैठक प्रस्ताव सं०-04 दिनांक 10.03.2025 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपविधि का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) की यथा अपेक्षानुसार हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र शाह टाइम्स दैनिक समाचार पत्र एवं अनमोल टाइम्स दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 23 मार्च, 2025 में प्रकाशित कराते हुये प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर सर्वसाधारण को आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रकाशन कराया गया था। परन्तु उक्त निर्धारित अवधि तक इस उपविधि से सम्बन्धित कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये। अतएव नगर पालिका परिषद स्वार जनपद-रामपुर के सीमान्तर्गत क्षेत्रों में भवन निर्माण उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

भवन निर्माण उपविधि :

1— शीर्षक— यह उपविधि नगर पालिका परिषद स्वार-रामपुर भवन निर्माण उपविधि कहलायेगी।

2— प्रकृति— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पालिका परिषद स्वार-रामपुर में प्रभावी रहेगी।

3— परिभाषायेँ— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में।

1. "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, संख्या-2, 1916 से है।
2. "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद स्वार-रामपुर के अधिशाली अधिकारी से है।
3. "बोर्ड/समिति" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद स्वार-रामपुर के बोर्ड/समिति से है।
4. "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद स्वार-रामपुर के अध्यक्ष /प्रशासक से है।
5. "नगर पालिका" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद स्वार-रामपुर से है।

6. "नगर पालिका की सीमाओं" का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित हो कर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4-आवेदन-

यदि कोई व्यक्ति जो नगर पालिका परिषद स्वार-रामपुर की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भू-खण्ड का स्वामी है और किराये पर देने अथवा विक्रय करने हेतु हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पालिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नोटिस) देगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा।

(क)-स्थल का मानचित्र-अनुज्ञा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे:-

1. स्थल की सीमायें और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।
2. स्थल का नजरी नक्शा (की-प्लान) तथा भू-विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।
3. समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।
4. भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
5. विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी समीपवर्ती भूमि पर बनाना चाहता है पहुँचने (यदि कोई हो) का मार्ग।
6. स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।
7. प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।
8. यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक-पृथक परिवार के लिये बनाये जाने हों तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जायेगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख)-भवनों का मानचित्र-भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हो, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिये और उनमें विभिन्न रंगों में विकसित करना होगा।

1. प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ियों आदि की ठीक स्थिति तथा आकार।
2. नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाइन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।
3. शौचालय, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।
4. मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिये प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जायेगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।
5. भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैक भवन का फ्रन्ट एलिवेशन, की प्लान, साइड प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विस प्लान आदि का विवरण।
6. मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हों खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।
7. मान्यता प्राप्त ड्राफ्ट मैन/वास्तुविद जो निकाय में पंजीकृत हों, द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जायेंगे।
8. उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(ग) अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्न लिखित विवरण रहेंगे—

भवन का उद्देश्य—

- स्वयं रहने के लिये।
- व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।
- उद्योग धन्धों के लिये।
- रहने या दुकान के लिये प्रार्थना-पत्र में दर्शाया जायेगा।

5—प्लान—

इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित हैं मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लार्क एवं ब्लूप्रिन्ट में होगा तथा भवन मानचित्र आवेदन शुल्क रु० 500.00 जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6—मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में आवेदन शुल्क की धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी।

7—शुल्क उपनियम—

4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा :—

क्र० सं०	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भू-तल प्रतिवर्ग फिट (रु०)	अतिरिक्त तल प्रतिवर्ग फिट (रु०)
1	2	3	4
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	04.00	02.00
2	निवासीय भवन (ओपन एरिया)	01.00	01.00
3	व्यावसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	05.00	03.00
4	व्यावसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	02.00	02.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखानाआदि (कवर्ड एरिया)	08.00	06.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखानाआदि (ओपन एरिया)	05.00	05.00
7	भू-खण्ड/प्लॉटिंग एरिया	02.00	00.00
8	मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु० 5000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम हो देय होगा।		
9	प्लॉटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।		

1—प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा—181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

3—सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4—भू-तल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

5— यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

6— धार्मिक स्थल मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के पहुंच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

7—विद्युत लाइन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

8— 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

9—किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

10— स्वीकृत मानचित्र किसी भी प्रकार का उक्त भू-खण्ड के स्वामित्व का साक्ष्य नहीं होगा।

8— शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास— ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो कि सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9— भवन में लेट्रिंग शोक पिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा, बिना लेट्रिंग शोक पिट के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

10—नालियाँ—भवन की नालियाँ सीमेंट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियाँ बनायी जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिये आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाइप लगाने होंगे।

11—प्लिन्थ (कुर्सी)—भवन का प्लिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12—भवन की ऊँचाई—भूतल से फर्श की छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13— (क)—भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरों की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख)—कमरों में समुचित जंगलों और वेंटीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इसका क्षेत्रफल कमरों के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग)—जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इन को पूरा खोला जा सके।

(घ)—जीना-बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14—किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

15—जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16—जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

17—निकाय / बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अध्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय / बोर्ड को यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनः निर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस दे कर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथा स्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद स्वार-रामपुर यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रू0-1000/- (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रू0-25/- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त को किया जायेगा।

रेशमा परवीन,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
स्वार रामपुर।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, पुवायॉ

(निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन)

27 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 59/न0पा0प0-पु0/गजट/2026-27-नगर पालिका परिषद पुवायॉ जनपद शाहजहाँपुर ने उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे0डी0 एंव धारा 212-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई है। प्रस्तावित उपविधियों का उन व्यक्तियों, जिन पर इनका प्रभाव पड़ सकता है अथवा पड़ने की सम्भावना है, के सूचनार्थ नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र (हिन्दुस्तान एंव अमर उजाला दिनांक: 11 दिसम्बर 2025 व दि0 13 दिसम्बर 2025) में प्रकाशन करा कर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तदुपरान्त नगर पालिका परिषद पुवायॉ के बोर्ड द्वारा प्रस्ताव संख्या-01, दिनांक: 20 जनवरी, 2026 के द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया गया। इस उपविधि को अधिनियम की धारा 301 के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नगर पालिका परिषद पुवायॉ (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन)

उपविधि, 2025

1-संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद पुवायॉ (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद पुवायॉ में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएँ—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख) आबादी का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हों और जिसका उपयोग नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।

(ग) निर्धारित सूची का तात्पर्य अधिनियम 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) संशोधन और परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम 1916 की धारा 147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ) सम्पत्ति का तात्पर्य यथाशक्ति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च) सम्पत्ति कर का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पुवायों सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन, जलकर जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदोषित हो।

3—निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण—(1) अधिनियम 1916 की धारा 144 के अधीन नगर पालिका परिषद पुवायों कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारणों के प्रोदभूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा

(चार) पंजीकृत दानपत्र द्वारा

(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी।

(एक) नगर पालिका परिषद पुवायों सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति,

(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रवृष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4-सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया—(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण करके सम्पत्ति कर की धनराशि नगर पालिका परिषद द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर अधिशासी अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा। अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पालिका परिषद पुवायों को प्रपत्र 2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर पालिका परिषद पुवायों द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जो रु० 1000.00 प्रति आवेदन है, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथाशक्ति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा—

क्र० सं०	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र विलेख दानपत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे०पी०जी० प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे०पी०जी० प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय विलेख या दानपत्र/विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	—	✓	—
5	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	—	—
6	मृत्यु प्रमाण पत्र (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी० जे०पी०जी० जे०पी०ई०जी० पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	—	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत जी०आई०एफ०, पी०एन०जी० जे०पी०जी० जे०पी०ई०जी० पी०डी०एफ० प्रारूप में)	—	—	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	—
9	पूर्व में जारी नामान्तरण पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोदभूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात नगर पालिका परिषद पुवायों द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(घ) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम 6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया

जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप 3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितवद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी।

(ड) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिस की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर पालिका परिषद क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर पालिका परिषद पुवायों द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पालिका परिषद पुवायों क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (ड) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ड) के अन्तर्गत जारी नोटिस अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियमसम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ड) के अन्तर्गत जारी नोटिस अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितवद्ध व्यक्तियों को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुणदोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जायेगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के संबंध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किए जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर अध्यासी शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किये गये कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक से तैयार की जायेगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जायेंगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5- हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरित की बाध्यता :-

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकार के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस संबंध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना आवेदन/नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो नगर पालिका परिषद द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराये जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6-निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना:-

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पालिका परिषद को प्रस्तुत किया जाये वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होगी।

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होगी-

क्र० सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्गफीट में	प्रभार की धनराशि (रुपयें में)
1	1000 तक	500/-
2	1001-2000 तक	1000/-
3	2001-3000 तक	1500/-
4	3000 से अधिक	2500/-

(ख) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी-

क्र० सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रुपयें में)
1	रु० 5 लाख तक	1000/-
2	रु० 5 लाख से 10 लाख तक	2000/-
3	रु० 10 लाख से 15 लाख तक	3000/-
4	रु० 15 लाख से 50 लाख तक	5000/-
5	रु० 50 लाख से अधिक	10000/-

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम 1916 की धारा 92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हो और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम—(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के संबंध में नगर पालिका परिषद पुवायों से सम्बन्धित कोई धनराशि देय हो तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

7—आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण :—

जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है।

8— अपील :—

अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध होकर कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा—160 के अधीन अपील कर सकता है।

प्रपत्र—1

(नियम—4(1ख) देखें)

भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना—प्रपत्र

1	भवन स्वामी/अध्यासी का नाम	—
2	भवन संख्या/आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति	—
3	भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य	—
4	सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं0	—
5	पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल	—
6	नव—निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल	—
7	नव—निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि	—
8	अध्यासन की तिथि	—
9	अन्य विवरण— यदि कोई हो।	—

स्थान—

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

दिनांक

पता—

मोबाइल नं0—

प्रपत्र—1

(नियम—4(2) देखें)

निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता—

2. सम्पत्ति का विवरण—

(1) विक्रय और दान आदि के मामलों में

(क) सम्पत्ति संख्या/आई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छदित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता

(ङ) हस्तान्तरण की प्रकृति—बिक्री/दान

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि

(छ) कोई अन्य विवरण

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छदित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित) पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है

(ङ) आवेदक का मृतक से सम्बन्ध

(च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश

(छ) उत्तराधिकारी का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)

(ज) कोई अन्य विवरण

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छदित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण

(ङ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य

(च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी—उपक्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण—

4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण—

(1)

(2)

(3)

(4)

(ह०) अस्पष्ट,
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, पुवायॉ
शाहजहाँपुर।

नगर पालिका परिषद, गोला गोकर्णनाथ, खीरी

8 मई, 2026 ई०

सं० 84/न०पा०गोला/2026-27—उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1916 की धारा-298 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के क्रम में फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट उपविधि कार्यालय पत्रांक संख्या 579/न०पा०गोला/2025-26 दिनांक 30.12.2025 उपविधि तैयार कर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उपविधि का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक साकेत लहर, लखनऊ में दिनांक 30.12.2025 व दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप, लखनऊ में दिनांक 01.01.2026 में प्रकाशित किया गया है। प्रकाशन उपरान्त 15 दिनों के अन्दर आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट के अन्तर्गत उपविधि लागू किये जाने के प्रस्ताव को नगर पालिका परिषद, गोला गोकर्णनाथ की मा० सदन की बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2026 को रखा गया जिसे मा० सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है। यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र (गजट) में प्रकाशन होने की दिनांक से लागू होगी। उपविधि निम्नवत है—

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिये राज्य मॉडल उपविधि, 2026

नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिये निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकार: ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति, 2019

(ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन 2013

(घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट — 2013

(च) आईएस कोड 2470 भाग I और II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड)—सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिये कार्य व्यवहार संहिता।

(छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता सम्बन्धी, जैसे कि यू.पी. जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008; तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ भवनों पर लागू होगा।

अध्याय—I

प्रारम्भिक

1—संक्षेप — शीर्षक, विस्तार और आरंभ

(i) इन उपविधियों को नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) उपविधि, 2025' कहा जा सकता है।

(ii) ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2—परिभाषा

“एक्सेस कवर” का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/ पिट में अंदर जाने के लिये छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;

“अपेलेट बॉडी” निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और/या, कोई अन्य सम्बन्धित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है।

“फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट” उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिये से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है।

“को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी” का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फीकल स्लज के उपचार के लिये पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है।

“विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली” का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिये प्रयुक्त होते हैं।

“नियुक्त अधिकारी” निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिये अथवा उसे सौंपे गये किसी अन्य कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया है।

“डिस्लजिंग” का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया।

“निस्तारण” का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन।

“एफ्लूयंट” का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव)।

“फीकल स्लज एवं सेप्टेज” का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री।

“फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)” का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र।

“ग्रे वाटर” का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है।

“होस्ट यूएलबी” का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय ‘होस्ट’ बना रहेगा।

“ईनसैनिटरी लेट्रिन्स” का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है।

“लाइसेंस” का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है।

“लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर” (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

“अधिसूचित स्थान” का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान।

“ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)” ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भू-खण्ड पर स्वच्छता ‘घरेलू शौचालय’ के समान है, लेकिन इसमें एक ही भू-खण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधायें हो सकती हैं।

“ऑपरेटर” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।

“मालिक” का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो।

“व्यक्ति” का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कम्पनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कम्पनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं।

“सैनिटरी लेट्रिन्स” का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवर प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किये गये डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो।

“सेप्टिक टैंक” भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

“शेड्यूल्ड डीस्लजिंग” का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

“सेप्टेज” का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किये हुये सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

“सीवेज” का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

“सीवर” वो प्रणाली (सीवर लाइन / पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

“सीवेज पम्पिंग स्टेशन” का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

“सीवेज उपचार संयंत्र” का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

“निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी” का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिये निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबन्धित अथवा काम पर लिये गये कर्मचारी।

“परिवहन या ढुलाई” का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

“उपचार” का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिये एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिये तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

“उपचार सुविधा” का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल।

“यूएलबी क्लस्टर” का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिये होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

“निकाय पंजीकृत (वैक्यूम) टैंक” का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

“निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)” ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिये बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये भी किया जाता है।

“अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर” का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

“कमी” का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिये नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुये हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किये गये हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय—II

अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

1—परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अभिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्।

(i) यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिये कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करें।

(ii) अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

(iii) यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाये, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट—1)।

(iv) वे परिसम्पत्तियाँ जो प्रतिदिन 5000 किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर 2500 वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाये ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी / प्लशिंग के लिये उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय—III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4—मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होंगे:

(i) उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भू-खण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किये जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगे।

5-ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय-समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(ii) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिये जिम्मेदार होंगे।

(iii) परिसर का मालिक/निकाय का नाम, द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

(iv) परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

(v) परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

(vi) नियमों के पालन के लिये निकाय का नाम, या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबन्धन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिये परिसर के मालिक के लिये चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ, अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिये संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिये लाइसेंस और पंजीकरण

6-निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

(i) (निकाय का नाम) वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवायें प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(ii) (निकाय का नाम) अपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिये आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिये उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिये जागरूक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iii) जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदण्डों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिये आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

(iv) (निकाय का नाम) ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिये लाइसेंस जारी करेगा।

(v) इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7-लाइसेंस जारी करने की शर्तें

(i) लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खण्ड 2 (XXI) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

(ii) आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिये या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिये।

(iii) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ में परिचालन के लिये वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

(iv) आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के साथ पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड 16 में दिये गये मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ, या उसके द्वारा किरायें पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिये नियुक्त कर्मि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

(vii) आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिये आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8-लाइसेंस के लिये आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9-लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुये समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

10—लाइसेंस के लिये पंजीकरण शुल्क

नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिये समय-समय पर नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1—पंजीकरण के शुल्क और वैधता

(i) ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु. 1000 पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 1 वर्षों (1 अप्रैल से 31 मार्च) तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(ii) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क: रु. 500

11—लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

12—जागरूकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जायेगा।

अध्याय V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13—संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा

(i) भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिये नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवायें लें।

(ii) मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14—फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क

(i) समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii) शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जायेगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

(iii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और दुलाई कार्य के लिये अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिये निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15—फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई के वाहन

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और दुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

(ii) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिये पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सम्बन्धित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिये।

(iii) डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल दुलाई के लिये समय-समय पर नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

(iv) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(v) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिये) “septic tank waste (अंग्रेजी में) और “मलकुंड अपशिष्ट” (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार /नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिये निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16—दुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिये डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17—दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

18—दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिये पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किये जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19—नियुक्त कर्मियों के लिये सुरक्षा – उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन – सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिये लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20—फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

(i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii) होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करें।

21—निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

(i) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिये होस्ट यूएलबी बन जायेगा।

(ii) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबन्धित किये गये वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

(iv) संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा किया जायेगा।

(v) होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi) एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22—निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य

(i) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम) होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिये क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii) यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिये एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v) होस्ट यूएलबी संग्रहीत किये जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi) यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिये कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ को एक नये "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिये या नये "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिये केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिये।

23—कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सार्वधिक प्रशिक्षण के लिये उत्तरदायी होगा।

24—कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिये और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिये, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25—बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गये कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03-2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिये बीमा किया जायेगा।

26—लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास ऐक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27—उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

(i) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जायेगा।

(ii) उपचार सुविधा के अभाव में नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ आस-पास के होस्ट यूएलबी जिसमें सुचारु उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

(iii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु (निकाय का नाम) के आस-पास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28—फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये अवसंरचना का निर्माण

नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाये गये फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिये अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29—फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिये नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जायेगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी)।

(ii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिये निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं)।

30—फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी), द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो), द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जायेगा।

31—औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

32—फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण

नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार / निस्तारण करने के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।

33—उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय VII**प्रशासन और प्रवर्तन****34—प्रशासन और प्रवर्तन**

(i) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, अथवा नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिये समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली।

(iii) सुनिश्चित करने के लिये, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिये भुगतान करना होगा।

नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिये सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिये एक इमरजेन्सी रिसर्पोस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

35—जांच के लिये विशेष शक्ति

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36—नियम उल्लंघन और जुर्माना

(i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिये नोटिस भेजा जायेगा।

(ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति — (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट—8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दण्डित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाये जाने की स्थिति में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट—8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर निकाय का नाम, द्वारा तय किये जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

(v) संदेह दूर करने के लिये, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिये या चूक के लिये उसके तहत मुकदमा चलाने, दण्डित करने से नहीं रोकेगा।

37—अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट—9 देखें)।

38—विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

39—फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुये आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40—संदर्भ प्रलेख

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिये, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41—डीस्लजर के लिये सम्मान/पुरस्कार

अच्छे काम और व्यवहार के लिये निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिये फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिये सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42—उपविधियों के लिये पूरक राज्य सरकार के निर्देश

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2(xxxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिये बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1], 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिये यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिये यह आबादी को ध्यान में रखते हुये डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिये गये हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिये इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताये गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिये ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

- ☐ आयताकार: लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से 4
- ☐ गहराई: 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- ☐ दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लम्बाई का $2/3$
- ☐ तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- ☐ मशीन-छेद (मेनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- ☐ निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी.)
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	00.9	1.40
15	2	00.9	2.00
20	2.3	01.1	1.80

नोट 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिये। इस बारे में जानकारी के लिये, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2: फ्री बोर्ड के लिये 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिये।

स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल – भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं:

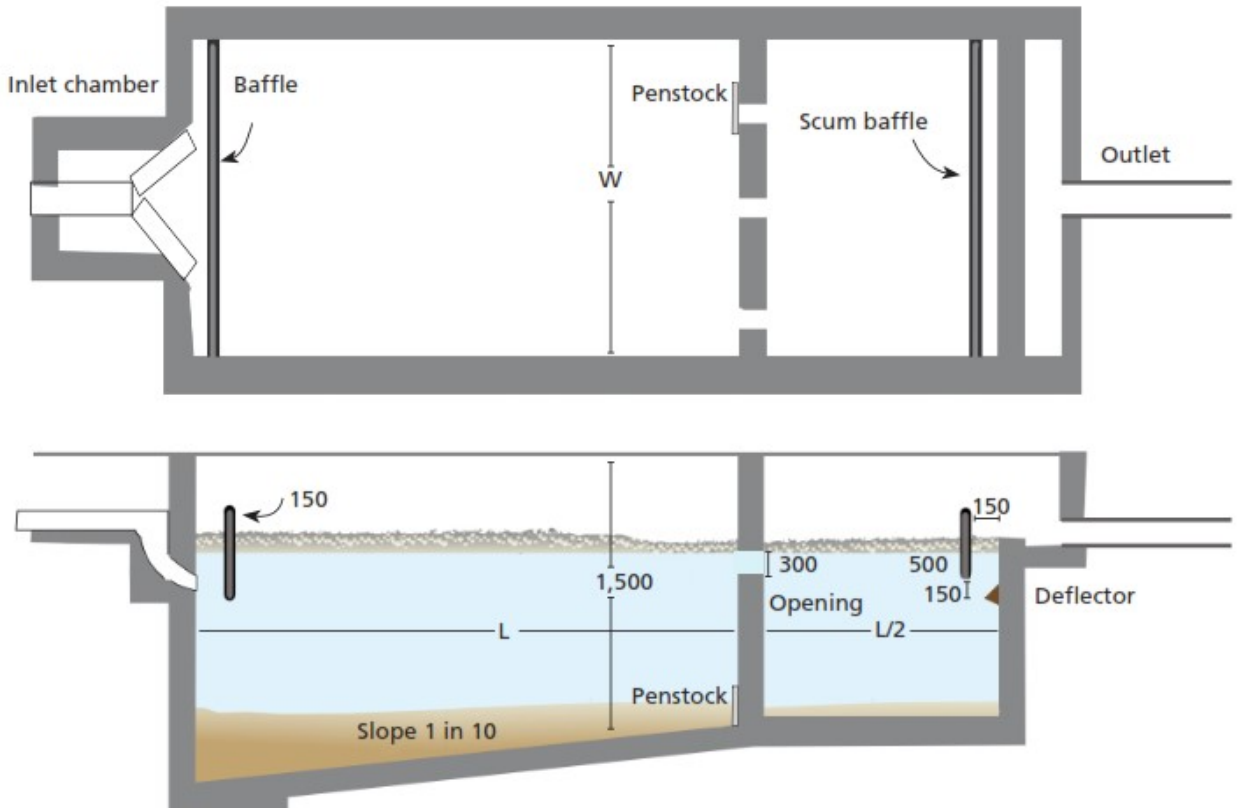
अवसादन (सेडीमेंटेशन): निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिये प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिये 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।

फीकल स्लज डाइजेशन: डेएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिये।

फीकल स्लज और मल भंडारण: फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिये, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ m}^3/\text{कैपिटा}$ की आवश्यकता होती है।

□ फ्री बोर्ड: कम से कम 0.3 मी.

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन



All measurements in millimetres (mm)

Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment—Part A: Engineering. CPHEEO, 2012

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की दुलाई सेवा के लिये उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र.सं.	श्रेणी	रु. में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1	आवासीय	500
2	व्यवसायिक	1000
3	सरकारी स्कूल/कालेज	500
4	निजी स्कूल/कालेज	1000
5	सरकारी कार्यालय	500
6	होटल, रेस्टोरेन्ट, निजी अस्पताल	1500
7	राइस मिल/अन्य मिल व औद्योगिक संस्थान	1500

स्त्रोत: सेप्टेज प्रबन्धन के लिये उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट: 1 उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है
2. उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिये जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किये गये कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खण्ड: 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिये—

(i) शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलियेस्टर से बने होते हैं, जो रिप्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

(ii) शरीर की रक्षा सज्जा / सुरक्षा बेल्ट

(iii) सर्जिकल फेस मास्क/ रेस्परेटर जो धूल, धुँयेँ, धुँध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

(iv) सेप्टी टॉर्च

(v) भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

(vi) संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिये रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेपटी गॉगल्स

(vii) टॉर्च के साथ लगे सेपटी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिये मददगार होता है

(viii) दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिये और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है

(ix) आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट

(x) गैस मॉनीटर

(xi) हेड लैंप

(xii) गाइड पाइप सेट

(xiii) सेपटी ट्राइपॉड सेट

(xiv) वेडर बूट

(xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi) मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाय ट्रॉली सिस्टम

(xvii) रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1: निकाय नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिये लाइसेंस आवेदन-पत्र

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर / ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें

1-आवेदक का नाम (श्री/सुश्री): _____

2-पता: _____

3-पंजीकृत कार्यालय पता: _____

टेलीफोन नंबर: (कार्यालय) _____ (मो.) _____

ईमेल आईडी: _____

6-

12						
स0न	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरो / टैंकर की क्षमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
I						
II						
III						
IV						

7-लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद _____
(रसीद संख्या)

8-संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं):

दस्तावेज के प्रकार	हां / नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां / नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां / नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या :

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिये सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिये आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिये उत्तरदायी रहूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

नियम और शर्तें

1—फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2—निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3—फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4—लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5—फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6—अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

7—वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

8—निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में Xy दिनों पर X: am से y: pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

9—प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

10—उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, लाइसेंस धारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट—5**खण्ड 6 (अ) और 8 देखें****लाइसेंस प्रारूप****नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ**

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

निकाय नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिये लाइसेंस इसके द्वारा अनुमति दी जाती है:

1—आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री): _____

2—पत्राचार का पता: _____

3-निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम) में फीकल स्लज/

सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने के लिये लाइसेंस संख्या: _____

1. मान्यता _____ से _____ तक

2. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर (i) _____ (ii) _____

(iii) _____ (iv) _____ लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1-फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2-निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3-फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4-लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5-फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6-अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7-फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8-वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9-निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर 06 am से 06 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10-प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11-उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खण्ड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाये रखने के लिये।

दिनांक.....समय

I- ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1.नाम :

2.पता:

(क) वार्ड संख्या : (क) टेलीफोन नं.

II- रोकथाम

1-निर्माण का वर्ष

2-पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY).....

3-आउटलेट मौजूद (हां/नहीं)

4-यदि हां, तो किससे जुड़ा है

5-रोकथाम के प्रकार (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक दिन		द्विन पिट (पंक्तिबद्ध)	
संग्रह टैंक		द्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

3-रोकथाम का आकार और आकर: नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें।

4-संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III- कीचड़ साफ करना

1-फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर).....

2-कीचड़ निकालने में लगने वाला समय :.....

3-ट्रिप की लम्बाई (किमी) :

4-आने-जाने में समय :

IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम :

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खण्ड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4: "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिये समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय(होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिये फॉर्म।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के तहत, एक्सवायजेड निकाय(संपर्क करने वाले निकाय का नाम) नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिये, "होस्ट यूएलबी" (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ)

द्वितीय पक्ष "एक्सवायजेड यूएलबी" (निकाय का नाम

उपबन्ध:

1-यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)

2-"प्रथम पक्ष " अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिये अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3-यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. (अनुबन्ध के अनुसार) देने के लिये सहमत है।

4-यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5-कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे।

6-कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7—प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर “द्वितीय पक्ष” की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्र० सं०	विवरण	खण्ड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा (रु. में)	जुर्माना (रु. या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50—100	1.1
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50—100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10—15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	5	100—150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100—150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10—15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50—100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50—100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150—200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिये गैर-अनुपालन	16,17	1000—1500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	1000—1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27,28,33	5000—10000 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27,28,33	5000—10000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27,28,33	1000—1500	
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27,28,33	5000—10000	
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6,7,14,27,28,29	5000—10000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6,7,14,27,28,29	5000—10000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6,7,14,27, 28,29	1500—2000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

नोट: जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिये। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास.....(पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम
2. आवेदक का पता
3. नगरपालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई
4. नाम:.....पद
5. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई:
6. अपील दायर करने की तारीख
7. सूचना विवरण

क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन मैं, ...अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
.....तद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिये गये विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान : तिथि :

अनुलग्नक के रूप में जमा किये गये प्रलेख:

1.
2.

.....यहाँ फाड़ें.....

पावती

संख्या..... तिथि :

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन

स्थान:..... तिथि :

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
आदेश से (नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ)

(अधिशाली अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)
(नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ)

परिशिष्ट—10

(खण्ड 40 देखें)

संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिये निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है:

- 1—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916
- 2—उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबन्धन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 3—बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि, 2022, कार्यालय राज-पत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 4—सलाहकार नोट: शहरी भारत में सेप्टेज प्रबन्धन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 5—उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिये दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 6—एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबन्धन रणनीति सह दिशा निर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश
- 7—आईएस: 2470 — 1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिये भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,
- 8—(क) (भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण
- 9—(ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।
- 10—सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

- 11—बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।
- 12—फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- 13—राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 14—फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबन्धन के लिये उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।
- 15—फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।
- 16—तमिलनाडु सरकार का राज-पत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन पर उपविधि।
- 17—सेप्टेज प्रबन्धन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।
- 18—सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिये मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- 19—फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिये उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली।
- 20—प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

(ह०) अस्पष्ट,
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
गोला गोकर्णनाथ—खीरी।

कार्यालय, नगर पंचायत पाकबड़ा, मुरादाबाद

23 जून, 2025 ई०

सं० 198/न०प०पा०/2025-26—कार्यालय नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद के पत्र सं०-04/न०प०पा०/2025-26 दिनांक 30 मई, 2025 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2025 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली, धारा-301 (1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक आज में दिनांक 30 मई, 2025 एवं दैनिक शाह टाइम्स 30 मई, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

“नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2025”

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अधीन नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उपविधि बनाती है—

उपविधि निम्नवत् है—

1— संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ—

(क)— यह उपविधियां यूजर चार्ज एवं केयरिंग चार्ज उपविधि 2025 कहलायेंगी।

(ख)— उक्त उपविधियां गजट का प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

2— उक्त उपविधियां नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद के सीमान्तर्गत लागू होंगी।

3— अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद से हैं।

4— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद से है।

5— नगर ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण—

(क)— समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उत्सर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उदगम स्थल पर ही पृथक-पृथक सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध कराई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़कों, मार्गों पर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट न फैले अन्यथा एंटी लिटरिंग केयरिंग चार्जज मौके पर वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ख)— नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा समय-समय पर नागरिकों को स्वच्छता के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर पंचायत पाकबड़ा स्थानीय रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद से अनुबन्धित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिये प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा।

6— नगरीय ठोस अपशिष्टों का भण्डारण— नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद के द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षा ऐसी रीति से करेगा, जिससे कि इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा—

(क)— निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुये भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी। परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं होगी। भण्डारण सुविधा मोबाइल ढक्कन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहां प्रयोक्ता पहुंच सके।

(ख)— नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद या किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप में प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं उसे कूड़ादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिये प्रेरित करें।

(ग)— नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नानुसार रंग के पृथक-पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं—

(1)— हरा— जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।

(2)— नीला— पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों हेतु।

(3)— लाल— संकटकारी अपशिष्टों हेतु।

(4)– काला/सफेद/पीला– अन्य प्रकार के अपशिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूड़े/अपशिष्टों के हथलन निकाले जाने और परिवहन के लिये सुगम प्रचालन डिजायन के कंरीयर वाहन कॉम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेंगे।

(घ)– बाहर स्थित सभी कोऑपरेटिव सोसायटीज, एसोसिएशन, आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनर, जिसकी डिजायन नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली-भांति पृथक-पृथक भण्डारण हो सके। जिन्हें नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद के वाहनों से समयबद्ध रूप से खाली करवाने हेतु नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा वाहनों की उचित व्यवस्था की जायेगी।

(ङ)– समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में उत्पन्न पुनः चक्रित अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रैगपिकर्स) नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाड़ी को विक्रय कर दें व किसी भी स्थिति में आम सड़क पर कूड़ा/कचरा कबाड़ आदि न डालें। पकड़े जाने पर केयरिंग चार्ज वसूला जायेगा।

(च)– कार्यवाही नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा (बीओटी/वीजीएफ/स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर) की जायेगी और इस व्यवस्था को सभी नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद की सीमा के भीतर स्थित आवासीय, अनावासीय सरकारी भवन अर्द्धसरकारी भवन, औद्योगिक भवन, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय एवं सभी संस्थानों आदि को नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा अनुमोदित यूजर चार्ज देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से केयरिंग चार्ज मौके पर तत्काल वसूल किया जा सकेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(छ)– बूचड़खाना, मास-मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट को जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सके और इनमें कोई संक्रामक बीमारियां नहीं फैले। इसको सुनिश्चित करने के लिये ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने स्तर से प्रबन्धन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा डोर-टू-डोर संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केयरिंग चार्ज मौके पर वसूल किये जा सकेंगे अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ज)– जैव चिकित्सीय, अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिये पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जायेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी सयंत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकरक अपशिष्ट का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

(झ)– आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत अपशिष्ट को पृथक-पृथक ट्राई साईकिल रिक्शों अथवा ऑटो टिपर गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुये कन्टेनरों से प्रसंस्करण प्लांट पर डलवाया जायेगा।

(त्र)– बागवानी और निर्माण/ढहाये गये कार्यों से उद्भूत अपशिष्टों/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानकों के अनुसार इनका व्यय किया जायेगा। नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा इस हेतु सप्ताह में एक दिवस निर्धारित कर अपेक्षा की जायेगी कि बागवानी से अपशिष्ट को नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर मध्याह्न तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिहवन सम्भव हो सके। निजी निर्माण/ढहाये गये मकानों के ठोस अपशिष्ट अपने स्वयं प्रबन्धन पर अथवा नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन करवाकर निर्धारित चिन्हित गंतव्य स्थल तक पहुंचाना होगा। खुले स्थलों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलवा डालना/रखना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय होगा।

(ट)– अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों) को जलाया नहीं जायेगा।

(ठ)– कोई भी स्वामी अपने परिसर, प्लाट आदि का प्रयोग कूड़ा डालने (स्वयं व अन्य) तथा अपशिष्ट को जमा करने में प्रयोग नहीं करेगा न करने देगा।

(ड)– कोई भी व्यक्ति/फर्म अपने आवास/प्रतिष्ठान/फैक्ट्री का दूषित पानी बोर कर भूगर्भ जल में नहीं डालेगा।

(ढ)– आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा बाहर में किसी अन्य स्थान के आस-पास मूकरूप से घूमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

(ण)– कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गंदा पानी, कीचड़, नाईट स्वायल गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषण हो एवं जनस्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध तत्काल केयरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

(त)– कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्को इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गंदगी फैलाते हुये पाया जाता है तो दण्डनीय अपराध होगा और उससे केयरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा।

(थ)– कोई भी व्यक्ति अपने पालतू पशुओं को सार्वजनिक स्थल पर खुला नहीं छोड़ेगा।

7— नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद का दायित्व—

(क)– नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद प्रशासन द्वारा नगर पंचायत सीमान्तगत स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ी, क्षेत्रों, बाजारों, पर्यटक स्थलों के आस-पास नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद के स्वयं के उद्यानों, शमशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्ष भर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहां से एकत्रित किया गया कचरा कूड़ा, नजदीक के घोषित कूड़ादान/कन्टेनर में एकत्रित करवाया जा कर वहां से प्रतिदिन उसका परिवहन अन्तिम निस्तारण स्थल तक बन्द वाहनों में करवाने के लिये प्रतिबद्ध होगी जिसके लिये नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद अपने स्वयं के स्थाई सफाई कर्मचारियों एवं वाहनों के लिये अन्य सफाई कर्मचारी रहित कॉलोनियों, क्षेत्रों में निजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिये अधिकृत होगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता व सुन्दरता सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके।

(ख)– बाहर की दैनिक सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रबन्धन हेतु नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद अपने बाहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कार्यालय (शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर कूड़ादान/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय) सामुदायिक कूड़ादान कचरे को ट्रांसफर स्टेशन बाहर के कूड़े के अंतिम निष्कासन हेतु कचरागाह (लेण्डफिल) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतंत्र होगा। नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट निर्माता द्वारा अपनाया जायेगा।

8— नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण— नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद क्षेत्र में नगरीय, ठोस अपशिष्टों या कूड़ा करकट फैलाना निषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्को, पानी के स्त्रोंतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा-करकट फैलाते व रखते पाया गया तो नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो संलग्न “अनुसूची-अ” में घोषित/समय-समय पर नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा निर्धारित केयरिंग चार्ज ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने का सक्षम होगा। नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा इस हेतु—

(क)– नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुपालन में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये “स्वच्छता मित्र आपके द्वारा” योजना पंचायत के सभी क्षेत्रों/वार्डों में लागू की जायेगी।

(ख)– घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित रूप से किया जायेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद द्वारा निर्धारित समय का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता की ट्राई साईकिल पर घंटी/भोपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मापदण्ड से अधिक न हो) भी लगाया जाये, ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सके।

(ग)– व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 बजे से 1.00 बजे तक रखा जायेगा।

(घ)– नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद की सीमा के भीतर स्थित आवासीय, अनावासीय, सरकारी भवन, अर्द्धसरकारी भवन, औद्योगिक भवन, नर्सिंग होम, विद्यालय महाविद्यालय एवं सभी संस्थानों आदि से कचरा संग्रह योजना के तहत यूजर चार्ज दरें निम्नानुसार दरें प्रस्तावित हैं—

क्र० सं०	उपयोग का प्रकार	अवधि	प्रस्तावित दरें
1	2	3	4
			रुपये—
1	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले—		
	(अ)– झोपड़ी	प्रतिमाह	निःशुल्क
	(ब)– पक्का घर/फ्लैट/ई०डब्ल्यू०एस० (1 बी०एच०के०) 30 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	निःशुल्क
2	30 से 100 वर्ग मीटर तक के भवनों पर	प्रतिमाह	20.00
3	100 से 200 वर्ग मीटर तक के भवनों पर	प्रतिमाह	30.00
4	200 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह	60.00
5	दुकानों पर	प्रतिमाह	90.00
6	हाथ-ढेला व्यवसायियों पर	प्रतिमाह	25.00
7	सभी प्रकार के रेस्टोरेंट—	प्रतिमाह	300.00
8	होटल/लॉज/गेस्ट हाउस—		
	(अ)– 20 बेड तक	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब)– 20 से 40 बेड तक	प्रतिमाह	1,500.00
	(स)– 41 से अधिक बेड तक	प्रतिमाह	2,000.00
	(द)– 100 वर्ग मीटर से अधिक (तीन सितारा व उससे अधिक)	प्रतिमाह	2,500.00
9	धर्मशाला —		
	(अ)– अवातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	200.00
	(ब)– वातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	500.00
	(स)– दोनो वातानुकूलित व अवातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	350.00
10	मैरिज होम—		
	(अ)– 1000 वर्गमीटर तक	प्रतिमाह	1,000.00

1	2	3	4
			रुपये—
	(ब)– 1001 से 5000 वर्गमीटर तक	प्रतिमाह	1,500.00
	(स)– 5001 वर्गमीटर से अधिक	प्रतिमाह	2,000.00
11	कार्यालय सरकारी एवं गैर सरकारी/प्राइवेट लि०/एक्सपोर्ट फर्म/क०—		
	(अ)– 50 से 300 कर्मचारी तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब)– 301 कर्मचारी से अधिक	प्रतिमाह	1,000.00
12	स्कूल शिक्षण संस्थान होस्टल सहित—		
	(अ)– 100 बेड तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब)– 100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	1,000.00
13	स्कूल/शिक्षण संस्थान/सरकारी एवं गैरसरकारी—		
	(अ)– 500 छात्र/छात्रा	प्रतिमाह	500.00
	(ब)– 500 से अधिक छात्र/छात्रा	प्रतिमाह	1,000.00
14	इंजी०/एम०बी०ए०/व्यवसायिक शिक्षण संस्थान/सरकारी एवं गैर सरकारी—		
	(अ)– 0 से 1000 छात्र/छात्राओ तक	प्रतिमाह	2,000.00
	(ब)– 1001 से अधिक छात्र/छात्राओ तक	प्रतिमाह	3,000.00
15	सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल/नर्सिंग होम—		
	(अ)– 20 बेड तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब)– 21–40 बेड	प्रतिमाह	1,500.00
	(स)– 40–100 बेड तक	प्रतिमाह	2,000.00
	(द)– 100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	3,000.00
16	क्लीनिक/पैथालॉजी/एक्सरे (चिकित्सकीय कूडा रहित)—		
	(अ)– क्लीनिक	प्रतिमाह	200.00
	(ब)– पैथालॉजी/एक्सरे	प्रतिमाह	500.00
17	शोरूम—	प्रतिमाह	1,000.00
18	मॉल/व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स—		
	(अ)– 1 से 2000 मी० तक	प्रतिमाह	4,000.00
	(ब)– 2001 से अधिक	प्रतिमाह	5,000.00
19	(1)– औद्योगिक इकाई एवं उत्पादन संस्थायें (फैक्ट्री)—		
	(अ)– 1 से 2000 मी० तक	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब)– 2000 से अधिक	प्रतिमाह	1,500.00

1	2	3	4
			रुपये—
20	पब्लिक/प्राइवेट प्रदर्शनी/विवाह/प्रतियोगिता आदि—	प्रतिमाह	1,500.00
21	पेट्रोल पम्प (सभी प्रकार के)	प्रतिमाह	1,500.00
22	गाय, भैंस, पालन (प्रति पशु)	प्रतिमाह	100.00
23	शराब की दुकान—		
	(अ)— केवल शराब की दुकान	प्रतिमाह	1,500.00
	(ब)— कैन्टीन के साथ शराब की दुकान	प्रतिमाह	2,000.00
24	बैंक	प्रतिमाह	1,500.00

(ड)— घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से पालिका के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी अथवा पंचायत द्वारा अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जायेगा। उक्त दरों की संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं दरों को रिक्षा ट्रॉली/ऑटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्षा ट्राली/ऑटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना होगा।

(च)— संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट सम्बन्धित नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(झ)— आवासीय भवन/अनावासीय भवन/होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों/वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपड़ी/इधर-उधर फैले क्षेत्रों तथा बस्तियों से अपशिष्ट संग्रह करने हेतु व्यवस्था की जायेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सबस्टेन्स के उदगम स्थल से बंद वाहनों में एकत्रित कर, बंद वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अंतिम निस्तारण स्थल पर ले जायेगा।

(ज)— इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई-धराई किया जाना प्रतिबद्ध करना आदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई-धराई की जा सकेगी।

(झ)— किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद द्वारा सड़कों/मार्गों/पार्को इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये विभिन्न क्षमता के बिनस अथवा कंटेनर की भीतर कचरा न डालकर जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐसा पाये जाने वाले व्यक्ति/संस्था से मौके पर ही केयरिंग चार्ज वसूला जायेगा।

(त्र)— नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद कन्टेनरर्स रहित स्थानों पर कचरा बार-बार उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ताकि सड़कों पर कचरा न पड़ा रहे।

9— नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन— अपशिष्टों का परिवहन करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन उपर से भली-भांति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों पर बिखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा।

(क)— स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा-कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आसपास का क्षेत्र भी साफ रखा जायेगा।

(ख)— परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसा होगा जिससे की अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने से पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके।

10- **अभियोजन/शास्तियां**— नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद के उपरोक्त उपविधि का पालन नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद द्वारा नगर पंचायत अधिनियम 1916 के तहत अभियोजन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिए पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगा।

(1)– इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हों।

(2)– ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व में दी गयी किसी शास्ति, सम्पराव या किये गये किसी अन्वेषण या लंबित किसी विधि कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

(3)– यदि कोई व्यक्ति यूजर चार्ज/जुर्माना/केयरिंग चार्ज देने में असफल रहता है तो उसके प्रति नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी तथा भू-राजस्व की भांति वसूली तथा नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत चालान आदि कार्यवाही की जायेगी।

“अनुसूची-अ”

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित केयरिंग चार्ज—

क्रम सं०	कृत्य	नगर पंचायत आरोपित धनराशि
1	2	3
		रुपये—
1	अवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	200.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,500.00 प्रतिदिन
6	हलवाई, चॉट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यावसायियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
7	डेरियों मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फैकना नाला/नाली में बहाने पर	2,000.00 प्रतिदिन
8	निजी मकान द्वारा इत्यादि के निर्माण का मलबा, सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
9	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर पंचायत की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकंटींग करने पर तथा नाला/नाली तोड़ने की दशा में	500.00 प्रतिदिन
11	अपने मकान/भवन का सेप्टिक टैंक न होने/सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
12	क्रमांक-2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित	500.00 प्रतिदिन

रखने के लिये निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर

13	दुकानदार एवं ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठ कर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गंदगी करने पर	500.00 प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डे के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्ते में डालकर गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़ा सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	200.00 प्रतिदिन
16	शादी/विवाह स्थालों पर कूड़ा सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालने पर	2,000.00 प्रतिदिन
17	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठ कर साबुजियाँ बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	200.00 प्रतिदिन
18	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	200.00 प्रतिदिन
19	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की गली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	2,500.00 प्रतिदिन
20	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	2,000.00 प्रतिदिन
21	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क, फुटपाथ पर गन्दगी फैलाने पर	2,500.00 प्रतिदिन
22	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	3,500.00 प्रतिदिन
23	सड़क के किनारे वांशिग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में	2,000.00 प्रतिदिन
24	खुले में शौच करने पर व सड़क के किनारे शौच करने पर	200.00 प्रतिदिन
25	व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबीन न रखने पर	पहली बार 100 प्रतिदिन दोबारा पाये जाने पर 500 प्रतिदिन
26	खुले में व सड़क के किनारे पेशाब करने पर	100 प्रतिदिन

11— उपविधियों का उल्लंघन करने पर स्थल पर जुर्माना/केयरिंग चार्ज लगाने का अधिकार अध्यक्ष/अधिकांसी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12— अध्यक्ष/अधिकांसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि प्रत्येक 5 वर्ष में केयरिंग/यूजर चार्ज का पुनरीक्षण करायेगें अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका तो 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेगें।

मौ० याकूब,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पाकबड़ा,
जनपद मुरादाबाद।

कार्यालय, आदर्श नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज

12 नवम्बर, 2025 ई०

345/न०प०बृ०/2025-26 उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 (2) के उपखण्ड-(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महाराजगंज सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन को विनियमित एवं उपविधि 2025 बनाई गयी है, उक्त अधिनियम की धारा-301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से आपत्ति/सुझाव कार्यालय के पत्र संख्या पत्रांक संख्या:-345/न०प०बृ०/2025-26 दिनांक:-12/11/2025 द्वारा हिन्दी दैनिक समाचारपत्रों (दैनिक जागरण एवं स्वतंत्र चेतना) में एक दिन के अंक में उपविधि प्रकाशित करायी गयी, जिसमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

अतएव उक्त नियमावली की पुष्टि करते हुये अधिनियम की धारा.301(2) के अधीन उ०प्र० शासकीय गजट में प्रकाशन कराया जाना है, यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, यह नियमावली नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद.महाराजगंज के सीमान्तर्गत भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2025 कहलायेगी।

भवन मानचित्र उपविधि, 2025

1— **शीर्षक**—यह उपविधि नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महाराजगंज भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2025 कहलायेगी।

2— **प्रकृति**—यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महाराजगंज में प्रभावी रहेगी।

3— **परिभाषाएँ**—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

1—“अधिनियम” का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम संख्या-2, 1916 से है।

2—“बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद.महाराजगंज के बोर्ड/समिति से है।

3— “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद.महाराजगंज से है।

4— “अध्यक्ष प्रशासक अधिशासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज के अध्यक्ष प्रशासक अधिशासी अधिकारी से है।

5—“नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

6—“भवन” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महाराजगंज की सीमा के भवनों से है इसका निर्माण/ पुनर्निर्माण/ संशोधन/ परिवर्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

4— यह उपविधि लागू होते ही नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज में प्रचलित वर्तमान नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इन उप नियमों के असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

5— (अ) भवन निर्माण संशोधन, पुनर्निर्माण के पूर्व स्वामी/अध्यासी को संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-178 के अन्तर्गत आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राईंग की दो प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें सेक्शन प्लान फ्रेण्ट एलिवेशन कम से कम दो चयनित/जल निकासी व्यवस्था प्लान्ट वैण्टिक है कि ड्राईंग साईट प्लान जिसमें चारों ओर से भवन भूमि की स्थिति स्पष्ट देना होगा तथा प्रस्तावित भवन का आगणन एवं अनुसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) ड्राईंग 1:100 के पैमाने पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा।

(स) भवन निर्माण में कमरे आदि नियत क्षेत्रफल के अनुसार स्पष्ट होना होगा।

6— (1) कक्ष की खिड़की आदि धरातल हेतु दीवार के क्षेत्रफल का कम से कम 10 प्रतिशत होगा।

(2) दरवाजे की ऊँचाई कम से कम 1.80 मी० कुर्सी तल से होगी।

(3) मुख्य बाहरी दीवार की मोटाई कम से कम 23 सेमी० होगी, बाउण्ड्री दीवार की मोटाई 18 सेमी० रखी जा सकती है।

(4) दो से अधिक मंजिल की ऊँचाई पर निर्माण हेतु प्रस्तावित ड्राइंग के साथ नींव का अभिकल्प भी संकल्प आवश्यक होगा।

7— छत की उँचाई कम से कम 2.7 मी० होगी।

8— प्रत्येक मंजिल हेतु ड्राइंग से अलग-अलग प्लान स्पष्ट करना होगा।

9— भवन निर्माण में निम्न विवरण के अनुसार खाली क्षेत्र छोड़ देना होगा।

(क) 100 वर्ग मी० तक के भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल 25 प्रतिशत।

(ख) 100—200 वर्ग मी० तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 30 प्रतिशत।

(ग) 200—500 वर्ग मी० तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 40 प्रतिशत।

(घ) 500—1000 वर्ग मी० तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 50 प्रतिशत।

(ङ.) 1000 से अधिक वर्ग मी० तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 60 प्रतिशत।

10— ड्राइंग बनाने हेतु नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज द्वारा तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण किया जायेगा, जिसको प्रतिवर्ष 10,000.00 रुपया शुल्क जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति ड्राइंग रू०—500.00 की धनराशि कार्यालय में जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि न जमा करने पर उनका पंजीकरण रद्द माना जायेगा।

11— नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा, जो ड्राइंग बनाने वाले पंजीकृत ड्राइंग के अनुसार निर्माण कराने का प्रमाण-प्रपत्र भी उक्त व्यक्ति को देना होगा।

12— (1) भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त करना होगा, जिसे पूर्णकर कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(2) प्रोजेक्शन के भू-खण्ड के क्षेत्र के बाहर प्रोजेक्शन या छज्जा आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी, यदि नाली आदि के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना अनिवार्य हो तो रू०—1,000 प्रतिवर्ग फीट प्रतिवर्ष की दर से प्रोजेक्शन निकालने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत को अदा करना होगा।

(3) प्रोजेक्शन/छज्जा के नीचे की सफाई स्वयं भवन स्वामी को करना होगा।

(4) यदि गली की चौड़ाई 3.50 मी० से कम होगी तो प्रोजेक्शन आदि की अनुमति नहीं होगी।

13— स्वीकृति/अस्वीकृति की अवधि—(1) निर्धारित आवेदन प्रारूप पर प्राप्त भवन निर्माण प्रार्थना-पत्र के साथ भूस्वामी प्रमाण-पत्र निर्धारित आकलन शुल्क, प्रस्तावित शुल्क तथा प्रस्तावित भवन निर्माण की ड्राइंग की दो प्रति संलग्न कर कार्यालय नगर पंचायत चौक में जमा करना होगा।

(2) प्रार्थना-पत्र के उपरान्त प्रस्तावित भवन के चारों ओर से भूस्वामियों को नोटिस देकर सूचित किया जायेगा कि वे एक सप्ताह के अन्दर यदि आपत्ति हो तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें, यदि एक सप्ताह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त निर्माण से किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रस्तावित ड्राइंग की तकनीकी आख्या नगर पंचायत बृजमनगंज के अवर अभियन्ता अथवा समक्ष कर्मचारी/सम्बन्धित वार्ड के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर ड्राइंग की वस्तुतः स्थिति से स्पष्ट करने के उपरान्त ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण के सन्निकट सड़क, नाली, सीढ़ी से तीन फीट अपनी जमीन छोड़कर।

(5) उपरोक्तानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति अध्यक्ष/प्रशासक और अधिशासी अधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो स्वीकृति के दिनांक, से दो वर्ष के लिये मान्य होगी।

(6) यदि निर्माण कार्य दो वर्ष में पूर्ण नहीं किया जा सकता है तो पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा। नवीनीकरण अगले एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

(7) एक बार स्वीकृति की अवधि बढ़ जाने पर पुनः अवधि बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। आवेदक को नये सिरे से अवशेष निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

14- शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा:-

क्र० सं०	भवन/भूखण्ड का प्रकार	भूतल प्रति वर्ग फिट (रु०)	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फीट (रु०)
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	5.00	4.00
2	निवासीय भवन (ओपेन एरिया)	4.00	3.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	10.00	5.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपेन एरिया)	8.00	4.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	20.00	6.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपेन एरिया)	12.00	5.00
7	भूखण्ड/प्लाटिंग एरिया	3.00	00
8	मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क 4,000.00रु/- या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम देय होगा।		
9	प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा		

1-प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन के कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2-नगर पालिका अधिनियम.1916 की धारा.181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति दो वर्ष के लिये मान्य होगी।

3-सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4-भूतल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

5- यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

6- धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

7—विद्युत लाईन का विस्तारधपरिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

8—200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

9—किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

15—शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास— ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो कि सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

16—भवन में फलशध्लैट्रीन लगाना अनिवार्य होगा बिना फलशध्लैट्रीन के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

17—निरीक्षण, अन्य— (1) नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग, के अनुसार किये जा रहे निर्माण कार्य को प्रशासकधध्यक्षधधिशाली अधिकारी अथवा सम्बन्धित लिपिक द्वारा निरीक्षण के पश्चात् प्रस्तुत आख्या पर दी गयी सहमति के आधार पर अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) यदि निर्माण कार्य नियम के विपरीत अथवा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया जा रहा है तो उपरोक्त द्वारा उसे रूकवाया जा सकता है। नियम के विरुद्ध कार्य कराने पर सं०प्रा० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा.186 के अन्तर्गत ध्वस्त करा दिया जायेगा।

(3) इस उपविधि के अनुसार दी गई स्वीकृति पाने में यदि कोई गलत सूचना दी गयी है तो अध्यक्षधप्रशासक और अधिशाली अधिकारी द्वारा स्वीकृति को रद्द कर दिया जायेगा।

(4) किसी भी अतिक्रमण को जो किसी भी सड़क, गली अथवा सार्वजनिक भूमि पर किया जा रहा हो तो नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज को अधिकार होगा कि वह उसे हटवा दे।

(5) मात्र नक्शा स्वीकृति से ही भूमि का मालिकाना हक सिद्ध नहीं होगा। विवाद की स्थिति में नक्शा की स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

(6) विवादित भूमिधू—खण्ड पर यदि न्यायालय में वाद चल रहा हो तो सम्बन्धित भूमिधू.खण्ड का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(7) नक्शा स्वीकृति हेतु क्रेताध विक्रेता की सहमति धलफनामा आवश्यक होगा।

18—नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज को अवैध निर्माण को रोकवाने तथा अनधिकृत के निर्माण के भवन को गिराने का अधिकार धारा.186 के तहत अधिशाली अधिकारी किसी भी समय नोटिस देकर भूमि के स्वामी अथवा अध्यास्वामी को किसी भवन के अथवा भवन के किसी भाग के निर्माण अथवा कोई निर्माण अथवा पुर्ननिर्माण परिवर्तन करने से रोक सकता है उन दिशाओं में जबकि वह ऐसा निर्माण पुनः परिवर्तन निर्माण अथवा परिवर्तन धारा.186 के अधीन अपराध समझे अथवा किसी भी रीति के भवन को अथवा कुयें की जैसी भी दशा हो परिवर्तन अथवा गिराने का आदेश दे सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे। यदि उक्त कार्य नोटिस में निर्दिष्ट समय के अन्दर कार्यान्वित किया जाता है तो वह ऐसे निर्माण अथवा पुनः निर्माण को गिरवा सकता है। अध्याय 6 के उपबन्धों के अनुसार उपभागों से व्यय किया गया धन वसूल किया जा सकता है।

19— 1—प्रस्तावित भवन निर्माण की ड्राइंग में अवर अभियन्ता द्वारा आवश्यक रूप से वर्टिकल गार्डन को दर्शाया जायेगा।

2—कतिपय मामलों में सं०प्रा० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा.180 में आमोद स्थल की निर्माण की स्वीकृति के समय राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के बाद दी जायेगी।

20— नोटिस— यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद—महराजगंज की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूखण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा—178 के अन्तर्गत नगर पंचायत चौक को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देगा।

नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा :—

(क)—स्थल का मानचित्र—अनुज्ञा के प्रार्थनापत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे—

- 1—स्थल की सीमायें और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।
- 2—स्थल का नजरीनक्शा (की प्लान) तथा भूविन्यास या भूखण्डों का विभाजन।
- 3—समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़कधूसड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।
- 4—भूमि का स्वामित्व/पंजीकृत बैनामा, खतौनी, आधार कार्ड प्रमाणपत्र।
- 5—विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने(यदि कोई हो) का मार्ग।
- 6—स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।
- 7—प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।
- 8—यदि किसी बड़े भूखण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक—पृथक परिवार के लिये बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जायेगी, जिसे विकसित करना होगा।
- 9—आवेदक/आवेदिका की एक फोटो।
- 10—जमीन/स्थल का फोटोग्राफ।

(ख)—भवनों का मानचित्र—भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिये और उनमें विभिन्न रंगों में दिखलाया जाना चाहिये।

मानचित्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे :—

- 1—प्रत्येक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ियों आदि के साथ कोठी की स्थिति तथा आकार।
- 2—नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जनप्रयोग की चीजों की स्थिति।
- 3—शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।
- 4—मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिये प्रार्थनापत्र प्रेषित किया जायेगा लाल रंग, तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।
- 5—भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेटबैक भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की.प्लान, साइटप्लान, तल पट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।
- 6—मानचित्र में वाहन (दो पहियाध्वार पहिया) जो हों खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7—मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैनध्वास्तुविद् द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

8—उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(ग) अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे—

1—भवन का उद्देश्यः—

स्वयं रहने के लिये।

व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित

उद्योग धन्धों के लिये

रहने या दुकान के लिये प्रार्थनापत्र में दर्शाया जायेगा।

21—प्लान—इस प्रकार के नोटिस के साथ जो किसी भवन/भूखण्ड के निर्माण पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों से संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लार्क एवं/अथवा ब्लूप्रिंट से होगा तथा भवन मानचित्र शुल्क जमा की रसीद संलग्न करेगा।

22—मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

23—नालियाँ—भवन की नालियाँ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियाँ बनायी जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिये आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

24—प्लिन्थ (कुर्सी)—भवन का प्लिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

25—भवन की ऊँचाई—भूतल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

26—(क) भवन के किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरे में समुचित जंगलें और वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01:01 से कम नहीं होगा।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) जीना रू— बहुमंजिले भवनों में हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

27—किसी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई(गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

28—जानवरों के बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनानी होगी।

29—जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

30—निकायध्वोर्ड उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा.186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अध्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहां निकायध्वोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा.185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस

देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथा स्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

31—उपविधि स्वीकृतध्रकाशित होने की तिथि के पश्चात्, पहले से निर्मित भवनधृत्यादि (नगर पंचायत के गठन के बाद) को नियमानुसार नक्शा पास करना अनिवार्य होगा, तथा उक्त स्थिति में नियम.विरुद्ध निर्मित भवनों के सम्बन्ध में बोर्ड अथवा अधिशासी अधिकारीध्रशासकध्यक्ष जुर्माना याधएवं आवश्यक कार्यवाही जैसा नियमसंगत हो, करने हेतु अधिकृत होगी।

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएँ

जल संग्रहण हेतु 3,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी प्रकार के भवनों के छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बारिश के जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउण्ड वॉटर रिचार्जिंग का प्रावधान किया जायेगा।

सोलर वॉटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षाएँ

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वॉटर हीटर संयन्त्र की स्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी :—

- 1—अस्पताल तथा नर्सिंग होम।
- 2—होटल।
- 3—अतिथि गृह।
- 4—विश्राम गृह।
- 5—छात्रावास।
- 6—महाविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएँ/प्रशिक्षण केन्द्र।
- 7—सशस्त्र बल/अर्द्ध—सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक।
- 8—सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हॉल, बारातघर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन।
- 9—5,000 वर्ग फुट एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षाएँ

समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से आशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोध मुक्त परिसर के सृजन के लिये प्रावधान सुनिश्चित किये जायेंगे।

भूकम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षाएँ

1—भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 41 फुट से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 5000 वर्ग फुट से अधिक भूअच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर बाक्स एवं ओवर हेड टैंक, टेलीफोन, एक्सचेंज, ब्रिज एवं क्लवर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत टावर, अस्पताल छवि गृह, ऑडिटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थाएँ, बस टर्मिनल आदि) पर भूकम्प रोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएँ लागू होंगी।

2—भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराने के लिये स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षर्युक्त भवन की नींव एवं सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनाएँ एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र स्वाकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। साथ ही भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भूस्वामी, पंजीकृत आर्किटेक्ट के साथ.साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहर युक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण.पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

दण्ड

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916(अधिनियम, 2, 1916 की धारा.299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद-महाराजगंज यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा। जो रु०-1,000(एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरंतर चला आ रहा है तो रु०:-25(पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा

(ह०) अस्पष्ट
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत बृजमनगंज,
जनपद.महाराजगंज।

कार्यालय, नगर पंचायत, खुटार, शाहजहाँपुर
नगर पंचायत, खुटार (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन)

27 मार्च, 2026 ई०

सं० 404/न०पं०खु०/गृह-कर/2025-26-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं०. 2 सन् 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत खुटार बोर्ड ने दिनांक:- 10-02-2026 को बोर्ड प्रस्ताव संख्या-02 द्वारा नगर पंचायत खुटार (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 स्वीकृत की है। जिस उपविधि के बनने का प्रस्ताव करता है, उसका प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला दिनांक 25 मार्च 2026 को आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रभार की दरें उल्लिखित हैं, तथा विस्तृत प्रारूप नगर पंचायत खुटार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया है। नगर पंचायत खुटार (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 के अन्तर्गत प्रभार दरें इस प्रकार हैं-

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नलिखित होगी :-

क्र० सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि (रुपये में)
1	1000 तक	500/-
2	1001-2000 तक	1000/-
3	2001-3000 तक	1500/-
4	3000 से अधिक	2500/-

(ख) नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों प्रभारों की दरें जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत होगी-

क्र० सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रुपये में)
1	रु० 5 लाख तक	1000/-
2	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	2000/-
3	रु० 10 लाख से रु० 15 लाख तक	3000/-
4	रु० 15 लाख से रु० 50 लाख तक	5000/-
5	रु० 50 लाख से ऊपर	10000/-

आवेदक नगर पंचायत खुटार द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रु० 100.00 प्रति आवेदन होगा, को ऑनलाइन रु० 100.00 भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा—

क्र० सं०	अभिलेख का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दानपत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे०पी०जी० प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे०पी०जी० प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय—विलेख या दान पत्र/विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)		✓	
5	उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓		
6	मृत्यु प्रमाण—पत्र (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, जे०पी०ई०जी० पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓		✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, जे०पी०ई०जी० पी०डी०एफ० प्रारूप में)			✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	
9	पूर्व में जारी नामान्तरण पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो।	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोदभूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा, इस अवधि के पश्चात नगर पंचायत खुटार द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हो, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत खुटार को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस उपविधि के प्रकाशित होने के दिनोंक से तीन दिनों के भीतर प्राप्त होंगे। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावे/आपत्तियों के लिये नगर पंचायत खुटार अथवा इसका कोई पदाधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा।

(ह०) अस्पष्ट,
मैना देवी,
अध्यक्ष
नगर पंचायत खुटार
शाहजहाँपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत गोला बाजार, गोरखपुर

19 मई, 2026 ई०

सं० 104/न०प० गोला/गो०/ उपविधि/भवन निर्माण/2026-27-उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा 298 (2) के उपखण्ड (क) क, ख, ग, घ, ङ. के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत गोला बाजार जनपद-गोरखपुर द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई है। उपविधियों का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) के अन्तर्गत प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः अमर उजाला व राष्ट्रीय सहारा दिनांक 14 फरवरी, 2025 में प्रकाशन कराते हुये सर्वसाधारण से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव का

आमन्त्रण किया गया था समयावधि समाप्त होने तक नियमानुसार प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। उक्त उपविधि को अन्तिम रूप से दो दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः हिन्दुस्तान व राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित करायी जा रही है। जो सरकारी गजट प्रकाशित होने के तिथि से स्वतः प्रभावी माना जायेगा।

भवन निर्माण उपविधि

1—शीर्षक—यह उपविधि नगर पंचायत गोला बाजार, जनपद—गोरखपुर भवन निर्माण उपविधि के नाम से पुकारी जायेगी।

2— प्रकृति— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत गोला बाजार, जनपद—गोरखपुर में प्रभावी रहेगी।

3— परिभाषायें— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

1. “अधिनियम” का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम—संख्या—2, 1916 से है।
2. “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत गोला बाजार, जनपद—गोरखपुर के अधिशाली अधिकारी से है।
3. “बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत गोला बाजार, जनपद—गोरखपुर के बोर्ड/समिति से हैं।
4. “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत गोला बाजार, जनपद—गोरखपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
5. “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत गोला बाजार, जनपद—गोरखपुर से है।
6. “नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निधारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4— आवेदन— यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत गोला बाजार, जनपद—गोरखपुर की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूखण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो यह उक्त एक्ट की धारा—178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नोटिस) देगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा:—

(क)— स्थल का मानचित्र अनुज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे—

1. स्थल की सीमाएं और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।
2. स्थल का नजरी नक्शा (की—प्लान) तथा भू विन्यास या भूखण्डों का विभाजन।
3. समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।
4. भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
5. विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।
6. स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।
7. प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।
8. यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक-पृथक परिवार के लिए बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क रूप में जगह छोड़ी जाएगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख)– भवनों का मानचित्र भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में विकसित करना होगा।

9. प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ियों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।
10. नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।
11. शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।
12. मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाएगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जाएगा।
13. भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैक भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।
14. मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।
15. मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद जो निकाय में पंजीकृत हो, द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जाएंगे।
16. उत्तर रेखा तथा प्रस्तुत पैमाना।

(ग) अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे—

भवन का उद्देश्य—

- 1—स्वयं रहने के लिए।
- 2—व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।
- 3—उद्योग धन्धों के लिए।
- 4—रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना पत्र में दर्शाया जाएगा।

5— प्लान— इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित हैं मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लार्क एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र आवेदन शुल्क ₹500.00 जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6— मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा आवेदन शुल्क की धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी।

7—शुल्क उपनियम— 4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा:—

क्र० सं०	भवन/भूखण्ड का प्रकार	भूतल प्रति वर्ग फिट (₹0)	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट (₹0)
1	2	3	4
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया) 1,000 स्क्वायर फिट तक के मकान के लिए।	01.00	01.00
2	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया) 1,000 स्क्वायर फिट के ऊपर के मकान के लिए।	04.00	02.00

3	निवासीय भवन (ओपेन एरिया)	01.00	01.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	10.00	05.00
5	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपेन एरिया)	04.00	04.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	15.00	10.00
7	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपेन एरिया)	10.00	10.00
8	भूखण्ड/प्लाटिंग एरिया	04.00	00.00
9	मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु0 5,000.00 या उपर्यक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा देय होगा।		
10	प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।		

1— प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2— नगर पालिका अधिनियम—1916 की धारा—181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

3— सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

4— भूतल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

5— यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी।

6— धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बहच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

7— विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

8— 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

09— किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

10— स्वीकृत मानचित्र किसी भी प्रकार का उक्त भूखण्ड के स्वामित्व का साक्ष्य नहीं होगा।

8— शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास— ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9— भवन में लैट्रिंग सोकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा, बिना लैट्रिंग सोकपिट के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

10—नालियों—भवन की नालियां सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियां बनायी जाएगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

11— पिलिन्थ (कूर्सी)— भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12— भवन की ऊँचाई—भूतल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13—(क)— भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कभरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाने जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) जीना-बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14—किसी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

15—जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16—जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

17—निकाय/बोर्ड उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अभ्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा 185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे यह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

दण्ड

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत गोला बाजार, जनपद-गोरखपुर यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रू०-1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा तो रू०-25- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

वैभव चौधरी,
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत गोला बाजार,
गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शाश्वत सिंह (SHASHWAT SINGH) पुत्र उदय प्रताप सिंह है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9749 3043 7346 में उसका नाम बाबू सिंह (BABU SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शाश्वत सिंह (SHASHWAT SINGH) पुत्र उदय प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

उदय प्रताप सिंह,
माधोपट्टी परिवारवां जौनपुर,
ब्याज गांव उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही/शुद्ध नाम सत्य नारायण पुत्र बृज लाल है, जो मेरे भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पैन कार्ड, गैस कनेक्शन, बैंक पासबुक, खतौनी तथा उपजिलाधिकारी फूलपुर प्रयागराज की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9811 7090 1678 में मेरा सुरेन्द्र पटेल पुत्र बृज लाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही/शुद्ध नाम सत्य नारायण पुत्र बृजलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सत्य नारायण पुत्र बृजलाल,
ग्राम कसेरुआ कलौ पो0 सहसो परगना झूँसी,
तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पप्पी देवी (PAPPI DEVI) पुत्री नन्द राम

(NAND RAM) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5786 8603 8481 में मेरा नाम राशी यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पप्पी देवी (PAPPI DEVI) पुत्री नन्द राम (NAND RAM) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पप्पी देवी, पुत्री नन्द राम
05/59, संतनगर, सिधौली, सीतापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम खुशबू यादव (Khushbu Yadav) पुत्री सालिक राम है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5555 7009 8895 में मेरा नाम कु0 खुशबू यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम खुशबू यादव (Khushbu Yadav) पुत्री सालिक राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

खुशबू यादव पुत्री सालिक राम
सराय मधई डेईडीह धौरहरा प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विजय शंकर पुत्र यदुनाथ हैं जो कि मेरे परिवार रजिस्टर, अयुष्मान कार्ड, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, खतौनी एवं श्रीमान उपजिलाधिकारी पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4301 8544 8422 में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार मिश्र अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विजय शंकर पुत्र यदुनाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विजय शंकर पुत्र यदुनाथ,
ग्राम पुरे बेनीराम पोस्ट उड़ैयाडीह,
थाना दिलीपपुर तहसील पट्टी,
जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अनुपमा चतुर्वेदी,
25 बदरूपुर कल्यानपुर आलापुर,
अम्बेडकर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रीनिति गुप्ता पुत्री नितेश गुप्ता है, जो मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम प्रीनिति गुप्ता से बदलकर अयांशी गुप्ता रख लिया है। भविष्य में उसे अयांशी गुप्ता पुत्री नितेश गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नितेश गुप्ता पुत्र उमाशंकर,
नई बस्ती रेती, जनपद शाहजहाँपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुपमा पाण्डेय पुत्री रामसेवक पाण्डेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम अनुपमा पाण्डेय से बदलकर अनुपमा चतुर्वेदी रख लिया है जो मेरे आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8467 0693 4111 में मेरे नाम की स्पेलिंग में अनुपम चतुर्वेदी (ANUPAM CHATURBEDI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनुपमा चतुर्वेदी (ANUPAMA CHATURBEDI) पुत्री राम सेवक पाण्डेय पत्नी अरुण चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शिखा पाण्डेय (SHIKHA PANDEY) पुत्री बलराम पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-7708 7273 1492 में उसका नाम गौरी पाण्डेय (GAURI PANDAY) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शिखा पाण्डेय (SHIKHA PANDEY) पुत्री बलराम पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मंजू पाण्डेय पत्नी बलराम पाण्डेय,
673/256 दारागंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम अनीता पुणताम्बेकर पुत्री बैजनाथ पन्त पुणताम्बेकर था जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम अनीता पुणताम्बेकर से बदलकर अनीता जोशी रख लिया है जो मेरे आधार कार्ड सं०-7327 2660 4489 में अंकित है। भविष्य में मुझे अनीता जोशी पुत्री बैजनाथ पन्त पुणताम्बेकर पत्नी रत्नाकर प्रभाकर जोशी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अनीता पुणताम्बेकर,
सी-114 सेक्टर-ए महानगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शेषमणि पुत्र मोतीलाल है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी किसान क्रेडिट कार्ड पासबुक, उत्तर प्रदेश राजकीय कटाई मिल कंपनी परिचय पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड व उपजिलाधिकारी जॉच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3372 0702 7612 में मेरा नाम ननकू राम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शेषमणि पुत्र मोतीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शेषमणि पुत्र मोतीलाल,
ग्राम मूडपेला पोस्ट कोहडार तहसील मेजा,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नितेश यादव (Nitesh Yadav) पुत्र राजमंगल यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-7433 7916 0761 में मेरा नाम Nitesh . Yadav अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नितेश यादव (Nitesh Yadav) पुत्र राजमंगल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नितेश यादव पुत्र राजमंगल यादव,
ग्राम भवनपोखर पोस्ट पकड़ी दुबे,
गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सद्माद्री मिश्रा (Sahyadree Mishra)

पुत्री श्यामजी मिश्रा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०- 6247 2321 7157 में उसका नाम आरना मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सद्माद्री मिश्रा (Sahyadree Mishra) पुत्री श्यामजी मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्यामजी मिश्रा पुत्र रामायण प्रसाद मिश्रा,
बेलवनिया कोरांव प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अभिषेक मिश्र पुत्र चन्द्रबली मिश्र है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2514 3202 0242 में मेरा नाम अनूप मिश्र अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अभिषेक मिश्र पुत्र चन्द्रबली मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अभिषेक मिश्र,
बीजूमऊ, खपराही तहसील लालगंज,
जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्पित मौर्या (ARPIT MAURYA) पुत्र राजीव कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-6360 8200 6234 में उसका नाम हर्षित कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्पित मौर्या (ARPIT MAURYA) पुत्र राजीव कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजीव कुमार पुत्र राम प्रताप,
मोहनापुर पोस्ट महगांव,
परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम DHANRAJ SONKAR पुत्र SHAILENDRA BAHADUR है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-8552 7396 5823 में मेरे पुत्र का नाम SAURAV भूलवश अंकित हो गया है। भविष्य में मेरे पुत्र के सही नाम धनराज सोनकर (DHANRAJ SONKAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

SHAILENDRA BAHADUR,
S/o Mool Chandra,
Pasiyahi Bidapur, Mirzapur, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शनीपाल पुत्र छोटेलाल पाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8079 0404 0367 में मेरा नाम पवन यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शनीपाल पुत्र छोटे लाल पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शनी पाल पुत्र छोटे लाल पाल,
ग्राम व पो० खखौचा, तहसील हंडिया,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रीजा (SHRIJA) पुत्री बृजेन्द्र कुमार है जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-9926 4834 1510 में मेरी पुत्री का नाम अमायरा अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रीजा (SHRIJA) पुत्री बृजेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

बृजेन्द्र कुमार पुत्र राम बिहारी,
भिटौरा, जगममनपुर, जालौन, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रिकू सोनकर पुत्र अच्छे लाल सोनकर है। जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पालिसी सं०-234937626 में मेरा नाम मनीष सोनकर अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रिकू सोनकर पुत्र अच्छे लाल सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रिकू सोनकर पुत्र अच्छे लाल सोनकर,
117/के/104 अम्बेडकर नगर,
नवीन नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अमीशी खन्ना पुत्री मनीष खन्ना है जो कि मेरी पुत्री के शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम अमीशी खन्ना से बदलकर दिविजा खन्ना कर लिया है।

भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दिविजा खन्ना पुत्री मनीष खन्ना के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनीष खन्ना पुत्र इन्द्रपाल खन्ना,
377 हरिजंदर नगर II बंगला कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सोमवती पत्नी रामेश्वर है जो कि मेरे आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पालिसी सं0-234454948 में मेरा नाम सोना देवी अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोमवती पत्नी रामेश्वर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सोमवती पत्नी रामेश्वर,
खाड़े राय का पुरवा, सचेंण्डी कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चांदनी यादव पुत्री स्व0 शिव कुमार यादव है। जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पालिसी सं0 233725192 में मेरा नाम रिमझिम यादव अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चांदनी यादव पुत्री स्व0 शिव कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

चांदनी यादव पुत्री स्व0 शिव कुमार यादव,
354 सतबरी रोड़ डबल टावर,
स्वर्ण जयंती विहार कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य प्रताप सिंह पुत्र विनय पाल सिंह है, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8666 5229 9307 में उसका नाम अर्नव सिंह अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य प्रताप सिंह पुत्र विनय पाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विनय पाल सिंह पुत्र रणवीर सिंह,
खेमीपुर, अशोकपुर, गोण्डा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 विनीता सिंह (Km. Binita Singh) पुत्री राणा प्रताप सिंह है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2500 6094 0755 में मेरा नाम खुशबू सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 विनीता सिंह (Km. Binita Singh) पुत्री राणा प्रताप सिंह, पत्नी विकास कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु0 विनीता सिंह पुत्री राणा प्रताप सिंह,
पत्नी विकास कुमार सिंह,
ग्राम जगदीशपुर पोस्ट भीमापार,
जनपद गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रभावती पत्नी स्व0 राम सिंह पटेल है जो मेरे खतौनी, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, बैंक पासबुक व उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है।

त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8428 4879 0147 में मेरा नाम उषा देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रभावती पत्नी स्व० राम सिंह पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रभावती पत्नी स्व० राम सिंह पटेल,
ग्राम सराय ख्वाजा कला तहसील फूलपुर,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मायशा अग्रहरी पुत्री रवि अग्रहरी है। जो उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम मायशा अग्रहरी से बदलकर अनिका अग्रहरी (Anika Agrahari) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को अनिका अग्रहरी (Anika Agrahari) पुत्री रवि अग्रहरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रवि अग्रहरी पुत्र काशीनाथ अग्रहरी,
सी० 6/5-1 बागबरियार सिंह,
चैटगंज वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आंचल मौर्य (ANCHAL MAURYA) पुत्री हृदय नारायण (HRIDAY NARAYAN) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं०-2597 8572 6417 में उसका नाम अंजली मौर्य अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम आंचल मौर्य (ANCHAL MAURYA) पुत्री हृदय नारायण (HRIDAY NARAYAN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

हृदय नारायण पुत्र राजेन्द्र,
ग्राम बरहूआ पोस्ट सैदपुर चंदौली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० वंदना कुशवाहा (Km. Vandana Kushwaha) पुत्री राम बरन (Ram Baran) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2545 6320 8263 में मेरा नाम वंदना कुशवाहा (Vandana Kushwaha) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० वंदना कुशवाहा (Km. Vandana Kushwaha) पुत्री राम बरन (Ram Baran) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० वंदना कुशवाहा पुत्री रामबरन,
पत्नी अनिरुद्ध कुमार,
ग्राम मवई कला पोस्ट कुंडा,
जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ममता मिश्रा (MAMTA MISHRA) पुत्री कृपा शंकर मिश्र है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। विवाह के उपरान्त मैंने अपना नाम ममता मिश्रा से बदलकर ममता गुप्ता रख लिया है। भविष्य में मुझे ममता गुप्ता (MAMTA GUPTA) पुत्री कृपा शंकर मिश्र, पत्नी लारेंस गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ममता मिश्रा,
2/2 ई०डब्लू०एस० 54 कालोनी, अल्लापुर,
दारागंज, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम धीरज अरोरा पुत्र प्रेमनाथ कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे शेयर सर्टिफिकेट डीपीआईडी- 12010900 क्लाइंट आईडी 01500572 मोती लाल ओसवाल फाईनेन्सियल सर्विसेज लि0 (एकाउन्ट नं0 एसयूपी-1391) में मेरा नाम धीरज कुमार पुत्र प्रेमनाथ कुमार अंकित हो गया है जो कि दोनो उपरोक्त नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम धीरज अरोरा पुत्र प्रेमनाथ कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

धीरज अरोरा पुत्र प्रेमनाथ कुमार,
111ए, एम0जी0 मार्ग, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्श सोमवंशी (Arsh Somvanshi) पुत्र अम्बिका शरण सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6024 8170 1087 में उसका नाम शुभ सिंह अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्श सोमवंशी पुत्र अम्बिका शरण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अम्बिका शरण सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह,
ग्राम भूपियामऊ, प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति वर्मा (Akriti Verma) पुत्री अनिल कुमार है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित

है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6474 7095 9531 में उसका नाम आकृति वर्मा (Akrati Verma) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति वर्मा (Akriti Verma) पुत्री अनिल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रजनी कुरील पत्नी अनिल कुमार,
सी0-184, गुजैनी उद्योग नगर,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदर्श पुत्र महेन्द्र है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8371 7826 8864 में उसका नाम अवदास अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श पुत्र महेन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुसुम देवी पत्नी महेन्द्र,
तेतरिया पोस्ट रामबाग, बड़ागांव,
तहसील आलापुर,
जनपद अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनीता यादव पत्नी इन्द्रपाल यादव है। जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेख, एवं उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6846 1441 1787 में मेरा नाम सुनीता अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनीता यादव पत्नी इन्द्रपाल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अनीता यादव पत्नी इन्द्रपाल यादव,
ग्राम सभा बसरिया, पोस्ट बेन्दो,
विकास खण्ड करछना,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कान्हा राय पुत्र प्रभात कुमार राय जैसा कि उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड सं०-4628 7702 9809 में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम शिवांश राय पुत्र प्रभात कुमार राय रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को शिवांश राय पुत्र प्रभात कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रेखा राय पत्नी प्रभात कुमार राय,
ग्राम कसारी पोस्ट खुरहट, जनपद मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वेदिजा अग्रवाल पुत्री ओम शंकर अग्रवाल है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख व आधार पैन कार्ड में अंकित है। विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम वेदिजा अग्रवाल से परिवर्तित कर वेदिजा मिश्रा कर लिया है। भविष्य में मुझे वेदिजा मिश्रा पुत्री ओम शंकर अग्रवाल पत्नी अतुल कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

वेदिजा मिश्रा,
पत्नी अतुल कुमार मिश्रा,
590 बी, रेलवे कालोनी, सूबेदारगंज,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आँचल गुप्ता (ANCHAL GUPTA) पुत्री नन्द लाल गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-2475 6085 9529 में उसका नाम आचल गुप्ता हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आँचल गुप्ता (ANCHAL GUPTA) पुत्री नन्द लाल गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

संगीता पत्नी नन्द लाल गुप्ता,
धुरियाडीह बेलघाट पो० बभनौली,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम निष्ठा पुत्री अशोक कुमार माता साधना पाण्डेय है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख प्राथमिक विद्यालय में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-4106 9063 9252 में उसका नाम दीपांजलि पाण्डेय माता साधना पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम निष्ठा पुत्री अशोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अशोक कुमार सुत रामराज,
ग्राम पूरे नंदन पाण्डेय, पो० कुड़वार,
थाना कुड़वार तहसील सदर,
जिला सुल्तानपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्नव श्रीवास्तव पुत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है।

त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3684 9657 5852 में उसका नाम अभिमन्यु श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्नव श्रीवास्तव पुत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
ग्राम व पोस्ट खजुरी धनेजपट्टी,
जिला आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रोहित कुमार (ROHIT KUMAR) पुत्र शैलेन्द्र नारायण चौधरी है जो कि मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र अक्षत चौधरी (AKSHAT CHOUDHARY) के शैक्षिक अभिलेख में रोहित चौधरी (ROHIT CHOUDHARY) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रोहित कुमार पुत्र शैलेन्द्र नारायण चौधरी,
एच-703, गोल्ड स्टार होम्स, नियर कालंदी पार्क,
सेक्टर-4बी, बृंदावन योजना लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स चितरंगी स्टोन वर्क्स के संविधान (Constitution), साझेदारों (Partners) तथा कार्यालय के पते में महत्वपूर्ण संशोधन/परिवर्तन किये गये हैं। इस पुनर्गठन के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक प्रपत्र (फॉर्म नंबर 3 एवं 7) सहायक निबंधक (फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स, वाराणसी, उत्तर प्रदेश) के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। तदनुसार, फर्म में हुए परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार है:

1-नया मुख्य कार्यालय—(Head Office)। मं0 नं0 सं0-19/46-एच-2, अशोक नगर कालोनी, लक्ष्मी मंदिर, पाण्डेयपुर, नियर द न्यूरो सिटी हॉस्पिटल, वाराणसी-221007 (उत्तर प्रदेश)

2- नया शाखा कार्यालय—

(Branch Office) खसरा नं0 220/2, ग्राम पिपरवान, पोस्ट बढकुल, तहसील चितरंगी, जनपद सिंगरौली-486882 (मध्य प्रदेश)।

3- सेवा निवृत्त साझेदार (Retired Partners)

श्री संकटा प्रसाद, श्री कमलेश चन्द्र, श्री दुखी सिंह, श्री निजानंद एवं श्री मनोज सिंह (अब फर्म से पूर्णता: सेवानिवृत्त हो चुके हैं)।

4-वर्तमान निरंतर साझेदार (Current Partners)

1-श्री मृत्युंजय राय पुत्र श्री रविन्द्र नाथ राय

2-श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री राधेश्याम

3- श्री नरेश गुप्ता पुत्र सुशील चन्द्र गुप्ता

व्यावसायिक निरंतरता घोषणा:

इस आंतरिक पुनर्गठन और साझेदारी में बदलाव के पश्चात भी फर्म में मूल स्वरूप, व्यावसायिक गतिविधियों, अनुबंधों तथा अन्य कार्यों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्म का समस्त व्यवसाय पूर्व की भांति ही सुचारु, अबाधित और निरंतर रूप से संचालित रहेगा।

मृत्युंजय राय,
मुख्य साझेदार/प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
चितरंगी स्टोन वर्क्स, वाराणसी/सिंगरौली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जया चौधरी पुत्री सर्वेश कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6158 8503 3159 में उसका नाम सानवी पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जया चौधरी पुत्री सर्वेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सर्वेश कुमार पुत्र सीताराम,
असनहरा पोस्ट, बेलसड़ गौर,
जिला बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम महिमा चौधरी पुत्री सर्वेश कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-8630 9897 5665 में उसका नाम आशवी पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम महिमा चौधरी पुत्र सर्वेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सर्वेश कुमार पुत्र सीताराम,
असनहरा पोस्ट, बेलसड़ गौर,
जिला बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंसारी मो० अतीक शहजादे (Ansari Mohd Ateeq Shahzade) पुत्र मो० शहजादे अंसारी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-7571 6411 5949 में मेरा नाम मो० अतीक अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंसारी मो० अतीक शहजादे (Ansari Mohd Ateeq Shahzade) पुत्र मो० शहजादे अंसारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अंसारी मो० अतीक शहजादे,
पुत्र मो० शहजादे अंसारी,
मोहिउद्दीनपुर, सलारगंज सराय ममरेज,
फूलपुर प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंजली सिंह (ANJALI SINGH) पुत्री शीलवन्त सिंह (SHEELVANT SINGH) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5217 9720 0242 में मेरा नाम अंतिमा सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंजली सिंह (ANJALI SINGH) पुत्री शीलवन्त सिंह (SHEELVANT SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अंजली सिंह पुत्री शीलवन्त सिंह,
ग्राम कोसफरा कला पोस्ट कोसफरा,
तहसील कोरांव जिला प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अनय पुत्र मनोज कुमार है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3652 3760 0423 में मेरा नाम रितेश कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनय पुत्र मनोज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अनय पुत्र मनोज कुमार,
ग्राम साहूपार, सोनूपर बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कृष्णधा कसौधन (KRISHNDHA KASAUDHAN) पुत्री नीरज गुप्ता है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-2162 1753 1349 में उसका नाम अरना

कसौधन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कृष्णधा कसौधन (KRISHNDHA KASAUDHAN) पुत्री नीरज गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नीरज गुप्ता,
590.1/86 इन्द्रपुरी कॉलोनी पंचम खेड़ा,
रायबरेली रोड SGPGI लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आकार पटेल पुत्र अरुण कुमार (ARUN KUMAR) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8631 0661 0298 में उसका नाम शिवाय (SHIVAAY) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आकार पटेल (AAKAR PATEL) पुत्र अरुण कुमार (ARUN KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अरुण कुमार,
कन्नी खेड़ा ऐन, हरौनी, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आस्था सिंह पुत्री रविन्द्र सिंह है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8869 3716 9414 में मेरा नाम समिक्षा सिंह अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आस्था सिंह (AASTHA SINGH) पुत्री रविन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आस्था सिंह,
महासोन फुर्सतपुर महावा कारखाना,
कुशीनगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आकांक्षा भारतीया (AKANKSHA BHARTIYA) पुत्री ज्ञान चन्द्र है जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है, मेरे आधार कार्ड सं0-3847 7940 9364 में त्रुटिवश मेरा नाम धनवा भारतीया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आकांक्षा भारतीया (AKANKSHA BHARTIYA) पुत्री ज्ञान चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आकांक्षा भारतीया ज्ञान चन्द्र,
चक मीरा पट्टी, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आलिया गुप्ता (Aliya Gupta) पुत्री जगदीश कुमार गुप्ता (Jagdish Kumar Gupta) है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम आलिया गुप्ता (Aliya Gupta) से बदलकर वामिका गुप्ता (Vamika Gupta) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को वामिका गुप्ता (Vamika Gupta) पुत्री जगदीश कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जगदीश कुमार गुप्ता, पुत्र रामबदल गुप्ता,
231/1/1 कमला नगर, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चिंतामणि (Chintamani) पुत्र मोहन लाल है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-9714 6045 2368 में मेरा नाम राज गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चिंतामणि पुत्र मोहन लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

चिंतामणि पुत्र मोहन लाल,
ग्राम बल्हौरा पोस्ट सिरावल माफी,
मऊ सिरावल चित्रकूट, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनुभव पाण्डेय पुत्र अरुण कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2626 4858 0347 में उसका नाम शौर्य पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनुभव पाण्डेय पुत्र अरुण कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अरुण कुमार पाण्डेय,
पुत्र स्व० बनवारी लाल पांडे,
विलेज पूरे कथिक, राम सनेही घाट,
रासनेही घाट बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम मोहम्मद अफजल है। जो कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, व शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण

(अनुक्रमांक-23160152) में मेरे पिता का नाम अफजल उस्मानी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नाबिया उस्मानी पुत्री मोहम्मद अफजल,
155 शाहपुर खास नवाबगंज, गिर्द,
नवाबगंज, गोण्डा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शकुन्तला देवी पत्नी स्व० हूबलाल है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र व खतौनी एवं उपजिलाधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी की जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति के सेवा पुस्तिका में मेरा घरेलू नाम शान्ती देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शकुन्तला देवी पत्नी स्व० हूबलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शकुन्तला देवी पत्नी स्व० हूबलाल,
आजाद नगर करारी पो० व थाना करारी,
तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शानविका शुक्ला पुत्री अमित शुक्ला है। जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-3560 6075 7068 में उसका नाम नन्दिनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शानविका शुक्ला पुत्री अमित शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अमित शुक्ला, पुत्र राजकुमार शुक्ला,
104A/347, 80 फिट रोड, रामबाग,
आर०के० नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिद्धिमा सेठ (Ridhima Seth) पुत्री कुलदीप कुमार है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-2459 9464 5661 में उसका नाम Ridhimi Seth अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिद्धिमा सेठ (Ridhima Seth) पुत्री कुलदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुलदीप कुमार पुत्र जगन्नाथ,
घटियाघट रोड, शांति नगर कादरी गेट,
फर्रुखाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शान्ती पत्नी स्व0 सुखलाल है। जो मेरे पहचान पत्र/पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4193 3817 9744 में आशा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शान्ती पत्नी स्व0 सुखलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शान्ती पत्नी स्व0 सुखलाल
ग्राम जयन्तीपुर तहसील चायल,
जनपद कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभी कसौधन (ABHI KASAUDHAN) पुत्र गणेश कसौधन (GANESH KASAUDHAN) जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8521

8994 5531 में उसका नाम अबि कसौधन हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभी कसौधन (ABHI KASAUDHAN) पुत्र गणेश कसौधन (GANESH KASAUDHAN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गणेश कसौधन,
2/1 काशी राम कालोनी,
फाफामऊ, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अमस अंसारी (AMAS ANSARI) पुत्र शमशाद (SHAMSHAD) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 8052 2992 6621 में उसका नाम अमूस (AMUSH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमस अंसारी (AMAS ANSARI) पुत्र शमशाद (SHAMSHAD) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शमशाद पुत्र सादिक,
114, सलेम भदरी, लालगंज प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लकी पाल (Lucky Pal) पुत्र शिव प्रसाद पाल है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8856 3165 2014 में उसका नाम सुरेन्द्र प्रसाद पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लकी पाल पुत्र शिव प्रसाद पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शिव प्रसाद पाल पुत्र रोहित,
भवानीपुर, अमरावती, विंध्याचल केवटान,
मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम यश्वी श्रीवास्तव (Yashvi Srivastav) पुत्री गौरव श्रीवास्तव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाणपत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-4465 8928 0536 में उसका नाम आरुषि श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम यश्वी श्रीवास्तव (Yashvi Srivastav) पुत्री गौरव श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

गौरव श्रीवास्तव पुत्र लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव,
68 तिलक नगर ऐशबाग लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ऋषभ तिवारी पुत्र श्री ब्रह्म प्रकाश है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-7569 6869 1579 में उसका नाम देवराज तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ऋषभ तिवारी पुत्र श्री ब्रह्म प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

ब्रह्म प्रकाश,
पुलिस चौकी के पास, ग्राम मानिकपुर मोहन,
मानिकपुरबिसु, इटावा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इरम हसीब (IRAM HASEEB) पुत्री मोहम्मद हसीब है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 7502 1204 5913 में उसका नाम इरन अख्तर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इरम हसीब (IRAM HASEEB) पुत्री मोहम्मद हसीब के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मोहम्मद हसीब,
ग्राम व पोस्ट-पलहीपुर थाना कातवाली नगर,
तहसील सुलतानपुर, जिला सुलतानपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नमन दरयानी (NAMAN DARYANI) पुत्र नीरज कुमार दरयानी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-4071 1476 4864 में उसका नाम मुस्कान दरयानी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को नमन दरयानी (NAMAN DARYANI) पुत्र नीरज कुमार दरयानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मुस्कान दरयानी पत्नी नीरज कुमार दरयानी,
जे-708, गुजैनी, भी०टी०सी० अद्योग नगर,
पोस्ट उद्योग नगर घाटमपुर,
जिला कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-बालाजी इन्टरप्राइजेज, 87, आलमनगर, जिला-सीतापुर 261004 की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के

अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म की साझेदारी में अभी तक तीन साझेदार श्रीमती मीना साहू श्री प्रदीप यादव एवं श्री सन्तोष कुमार साझेदार थे, जिसमें से दिनांक 29 मई, 2026 से श्री सन्तोष कुमार फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा पूर्वक निकल गये हैं। वर्तमान में क्रमशः श्रीमती मीना साहू एवं श्री प्रदीप यादव फर्म में साझेदार हैं।

श्रीमती मीना साहू,
साझेदार,
बालाजी इन्टरप्राइजेज जिला-सीतापुर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स 1/1 पी आईस फैक्ट्री कम्पाउन्ड, सुरेन्द्र नगर, अलीगढ़ परिवर्तित पता-डी-3 एक्सीलेन्ट अपार्टमेंट, स्वर्णजयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़ पत्रावली संख्या-AG-5300 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता तथा श्रीमती लता वार्षीय पार्टनर थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2002 के अनुसार श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री लखमीचन्द गुप्ता निवासी- 1/1 पी आईस फैक्ट्री कम्पाउन्ड सुरेन्द्र नगर, अलीगढ़ उक्त फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से हट गये हैं व संशोधित भागीदारी डीड दि० 05 दिसम्बर 2025 के अनुसार श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री तेजपाल निवासी-डी-3 एक्सीलेन्ट अपार्टमेंट, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़ फर्म में शामिल हो गये हैं। अब फर्म में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, लता वार्षीय तथा श्री प्रमोद कुमार साझेदार की हैसियत से रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब 03 ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

प्रमोद कुमार गुप्ता,
साझेदार,
मे० गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स,
1/1 पी आईस फैक्ट्री कम्पाउन्ड,
सुरेन्द्र नगर, अलीगढ़।
परिवर्तित पता-डी-3 एक्सीलेन्ट अपार्टमेंट,
स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० गिरधारीलाल मनोहरलाल ग्लास वर्क्स नं०-2 आगरा रोड, फिरोजाबाद का पत्रावली संख्या-AG-10188 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 05 मई, 2011 से श्री संजीव गुप्ता, श्री राजीव गुप्ता, श्री दीपक गुप्ता, श्री प्रदीप गुप्ता, श्री मोहित मोहन अग्रवाल, श्री रोहित अग्रवाल तथा श्री मनीष बंसल पार्टनर थे। जिसमें 01 अप्रैल, 2022 से उक्त फर्म के द्वितीय साझेदार श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता निवासी- बाईपास रोड, फिरोजाबाद फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं व संशोधित भागीदारी डीड दि० 01 अप्रैल 2022 के अनुसार संजीव गुप्ता, श्री दीपक गुप्ता, श्री प्रदीप गुप्ता, श्री मोहित मोहन अग्रवाल, श्री रोहित अग्रवाल तथा श्री मनीष बंसल साझेदार की हैसियत से रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब 6 ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

संजीव गुप्ता,
साझेदार,
मे० गिरधारीलाल मनोहरलाल ग्लास वर्क्स
नं०-2 आगरा रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम सत्यवती है जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड खतौनी एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मैंने अपनी सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में मैंने अपनी पत्नी का नाम कमला देवी अंकित करा दिया है जो कि उसका घरेलू नाम है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राम प्रताप सिंह
आर्मी नं० 2877081 वाई 4
राजरिफ रैंक सेवानिवृत्त हवलदार
ग्राम तुसौर, पोस्ट राजेपुर,
जनपद फर्रुखाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नीतीश यादव पुत्र सत्य नारायण यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5505 2166 9849 में उसका नाम यादव नितिन सत्य नारायण अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नीतीश यादव पुत्र सत्य नारायण यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजू देवी,
पत्नी सत्य नारायण यादव
ग्राम बैरिया राजा, टेकुआ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम महेक गुप्ता (Mahek Gupta) पुत्री संतराम है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०- 2015 0895 2152 में उसका नाम खुशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम महेक गुप्ता पुत्री संतराम के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनीता पत्नी संतराम
ग्राम व पोस्ट भेलारा सुल्तानपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवांशु सिंह (Shivanshu Singh) पुत्र रतन सिंह (Ratan Singh) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 4419 9923 3492 में मेरा नाम शिव्यांशु सिंह (Shivyaanshu Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे

सही नाम शिवांशु सिंह (Shivanshu Singh) पुत्र रतन सिंह (Ratan Singh) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिवांशु सिंह पुत्र रतन सिंह,
बबुरा व बबुरा मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राहुल वेनवंश सुत लल्ला वेनवंश है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 8053 8661 9783 में मेरा नाम अर्जुन सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राहुल वेनवंश सुत लल्ला वेनवंश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राहुल वेनवंश सुत लल्ला वेनवंश,
ग्राम गम्भीरा पो० कटरा गुलाब सिंह,
थाना जेठवारा तह० सदर,
जिला प्रतापगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सलोनी गौतम (SALONI GAUTAM) पुत्री संतोष कुमार है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4557 7098 5031 में मेरा नाम उजाला अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सलोनी गौतम (SALONI GAUTAM) पुत्री संतोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सलोनी गौतम पुत्री संतोष कुमार,
107, अम्बेडकर नगर, नैनी,
तहसील करछना, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० अंजली श्रीवास्तव (KM ANJALI SRIVASTAVA) पुत्री ध्रुव लाल श्रीवास्तव है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या 9801 3493 3755 में मेरा नाम रोली अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० अंजली श्रीवास्तव (KM ANJALI SRIVASTAVA) पुत्री ध्रुव लाल श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० अंजली श्रीवास्तव पुत्री ध्रुव लाल श्रीवास्तव,
एम०आई०जी-7 प्रीतम नगर,
गयासुद्दीनपुर उपरहार, धूमनगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहित सिंह Mohit Singh पुत्र विजय कुमार सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7300 6440 5838 में उसका नाम यश प्रताप सिंह Yash Pratap Singh अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहित सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुधा सिंह, पत्नी विजय कुमार सिंह,
MIG 23/9 कबीरनगर,
दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ओमवीर पटेल (Omveer Patel) पुत्र अवधेश कुमार वर्मा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 6577 1460 9162 में उसका नाम अंशुमान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ओमवीर पटेल (Omveer Patel) पुत्र अवधेश कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अवधेश कुमार वर्मा पुत्र श्याम लाल वर्मा
दर्शन नगर निरंकारपुर, तकपुरा,
फैजाबाद अयोध्या उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पैकरमा पुत्र राम औतार है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, खतौनी, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल व उप जिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०- 8503 4687 5599 में मेरा नाम विक्रम अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पैकरमा पुत्र राम औतार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पैकरमा पुत्र राम औतार,
ग्राम सोनारन कोडई दहेया,
तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुश्री सिंह (ANUSHREE SINGH) पुत्री भैरो प्रसाद BHAIRO PRASAD है जो कि इनके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 6897 4457 9363 में उसका नाम यज्ञश्री सिंह (YAGYASHREE SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनुश्री सिंह पुत्री भैरो प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

भैरो प्रसाद,
116/1/110 तालाब नवल राय,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयुषी चौबे पुत्री सुनील कुमार चौबे है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं०-9678 4115 4477 में उसका नाम आरुषी चौबे अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम आयुषी चौबे पुत्री सुनील कुमार चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिवांगी चौबे पत्नी सुनील कुमार चौबे,
कुडलिया भरछा चन्दौली उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रद्धा गोस्वामी (SHRADHA GOSWAMI) पुत्री राजन पुरी (RAJAN PURI) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या- 7640 8114 3025 में उसका नाम शाध्या अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रद्धा गोस्वामी (SHRADHA GOSWAMI) पुत्री राजन पुरी (RAJAN PURI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजन पुरी पुत्र जनक पुरी,
ग्राम बीरपुर, पोस्ट अमोई मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कर्ष मिश्रा है, जो कि उसके जन्म प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। भूलवश उसके आधार कार्ड सं०-2159 2506 9231 में उसका नाम रुद्र प्रताप मिश्रा गलत अंकित हो गया है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कर्ष मिश्रा पुत्र चन्द्रशेखर मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

चन्द्रशेखर मिश्रा,
पुत्र श्री जगरनाथ मिश्रा,
ग्राम सरैयां, पोस्ट आयर, जिला वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवमुरत चौधरी पुत्र रामभजन चौधरी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4077 0095 1445 में मेरा नाम शिव मूरत चव हरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवमुरत चौधरी पुत्र रामभजन चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिवमुरत चौधरी पुत्र रामभजन चौधरी,
24, वार्ड 9, परमानंदपुर पोस्ट व थाना रेवतीपुर,
तहसील सेवराई, गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रेवती कुमार पुत्र स्व० अभिराज है, जो मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम रेवती कुमार से बदलकर रजत रेवती कुमार रख लिया है। भविष्य में मुझे रजत रेवती कुमार पुत्र स्व० अभिराज के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रजत रेवती कुमार
ई0एस0-1-732 सेक्टर-ए सीतापुर रोड,
स्कीम अलीगंज, लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इशिका सिंह (ISHIKA SINGH) पुत्री शशिकान्त पटेल है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 4564 1617 9652 में उसका नाम मूरी वाडा सिंह (MURI VADA SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इशिका सिंह (ISHIKA SINGH) पुत्री शशिकान्त पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधि औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शशिकान्त पटेल
एस0 27/57 के-ए-1 नवलपुर,
मीरापुर बसहीं, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विग्नेश प्रजापति (Vignesh Prajapati) पुत्र विनोद प्रजापति है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3912 2990 3880 में उसका नाम रितेश प्रजापति अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विग्नेश प्रजापति पुत्र विनोद प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कौशल्या पत्नी विनोद प्रजापति
टंगहा का पूरा तिलखवार प्रयागराज उ0प्र0।